वार्षिकी-2019, अंकः 6

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय

माननीय श्री संजय कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निदेशक

नई दिल्ली में प्रशिक्षण के उपरांत निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह फोटो

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2019

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1.	प्रशिक्षण से सशक्तीकरण की ओर	अमित दुआ	13
2.	एक हीरा व्यापारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से धोखधड़ी	ए.के. कौशल	15
3.	प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता और उसका कार्य क्षेत्र	रोहित आनंद	17
4.	हिंदी राजभाषा	जगदीश प्रसाद मीना	19
5.	फेमा और भारतीय रिज़र्व बैंक	के.डी. वर्मन	25
6.	भूलते नहीं वे दिन	डॉ. राजेश्वर सिंह	29
7.	ऐ मेरे वतन	अनुराग अग्रवाल	31
8.	पुनर्चक्र	गिन्नी चाँदना	32
9.	प्रेरक प्रसंग–चार पत्नियाँ ...।	पंकज गोयत	34
10.	जम्मू और कश्मीर	ललित शर्मा	35
11.	अकबर के तीन प्रश्न	सुमन	36
12.	ज़ंक फूड	भावना गुप्ता	38
13.	एक नवीन संस्कृति	आदित्य कुमार	39
14.	मंदिर श्री गोपीनाथ जी	विजय आचार्य	40
15.	देश के विकास में हिंदी का महत्त्व	अजीत कुमार	43
16.	जुआरी	मनीष कुमार झा	44
17.	मैं घर छोड़ चला आया	कुलदीप नारनौलिया	47
18.	प्रवर्तन निदेशालय	अनुरुध्द यादव	48
19.	प्रेम	सन्तोष कुमारी	50
20.	वर्तमान समाज और नारी सशक्तीकरण	ठाकुर आशुतोष सिंह	51
21.	बिहार एक अनोखा राज्य	आकाश कुमार साह	52
22.	भ्रष्टाचार मुक्त भारत	राजेश कुमार	54
23.	पर्यावरण का बदलता स्वरूप, जीवन की क्षीण होती गुणवत्ता	हरेन्द्र तोमर	55
24.	कहानीः सही दिशा	संदीप कुमार	57
25.	ईश्वर का न्याय	देशराज मीना	58
26.	गंगा सागर तीर्थ	सचिन्द्रनाथ पांजा	59
27.	कुछ बीते हुए लम्हों की यादें	जे.पी. सिंह	61
28.	मातृभूमि वंदना	जसराम मीना	62
29.	क्या हम सच में आज़ाद हैं	करूण कटारिया	63
30.	बेटे	अशोक कुमार श्रीवास्तव	64
31.	मित्रता	विनय सूद	65
32.	दोस्त अब थकने लगे हैं	मुकेश कुमार	66
33.	ज़िंदगी एक पहेली	समीर कुमार वर्मा	67
34.	नन्हीं परी	दीपिका त्रिपाठी	68
35.	अद्‌भुत मन्त्र	प्राची सिंह	69
36.	आस बाकी है	सुशील छारंग	70
37.	कोई और गाना गा ले	शैलेश बँसल	71
38.	तू मत ठहर	अमित अभिषेक	72
39.	वो बचपन कहाँ खो गया	रोहित कुमार	73
40.	बँधी है एक नई आशा	रवि कुमार	74
41.	एक बीज मेरे सपनों का	सूरज कुमार	75
42.	बेटी का महत्त्व	सुजीत कुमार	76
43.	सहयोग का महत्व	कौशल कुमार	77
44.	बचपन	अमित कुमार सैनी	78
45.	समय की चाल	राजेश कुमार मीना	79
46.	अपना पथ देख	प्रतिमा कुमारी	80
47.	हौंसलों की उड़ान	खुशबू गुगलानी	81
48.	प्यारा हिंदुस्तान	ज्ञान सिंह नेगी	82
49.	प्रकृति की सुंदरता	सन्दीप कुमार छिकारा	83
50.	नारी बनी कल्याणी	विदुर कुमार	84
51.	कविता	वर्षा सेमयूल्ल	85
52.	गाँव की याद	नीरज कुमार सहरावत	86
53.	एक प्यार ऐसा भी	मोहित दलाल	87
54.	तू युद्ध कर	पुलकित गोदारा	88
55.	निर्णय	जूही कुमारी	89
56.	यह मेरे देश का संविधान है	अनु वर्मा	90
57.	बेटे भी घर छोड़ जाते है	राजेश	91
58.	जीवन एक संघर्ष है	जितेंद्र सिंह	92
59.	पत्नी और मंदिर	चन्द्रशेखर. आर	93
60.	जो दुनिया सारी छोड़ चले	रविकांत प्रजापति	94
61.	वक़्त नहीं	मनीष पचौरी	95
62.	दिल्ली मेट्रो (व्यंग्य)	सुमित कुमार	96

प्रधान मुख्य संरक्षक
संजय कुमार मिश्रा
प्रवर्तन निदेशक

मुख्य संरक्षक
सिमान्चल दास
प्रधान विशेष निदेशक

प्रधान मुख्य संपादक
डी॰ के॰ गुप्ता
विशेष निदेशक

मुख्य संपादक
डी॰ एस॰ सिद्धू
संयुक्त निदेशक

संपादक
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडल
ए.के. कौशल
उप निदेशक

के.डी. वर्मन
सहायक निदेशक

पवन कुमार
सहायक निदेशक

मनोज कुमार टीकला
प्रवर्तन आधिकारी

समीर कुमार वर्मा
वरिष्ठ अनुवादक

पत्र व्यवहार के लिए पताः
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

डिस्क्लेमर :– इस पत्रिका में तकनीकी लेखों के अलावा, कविता, कहानी, लेख तथा गज़ल आदि रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं हैं, यदि इनमें किसी तरह का प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन होता है तो रचनाकार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

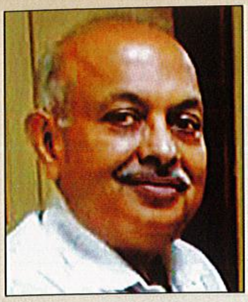

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

प्रवर्तन निदेशालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा वार्षिक हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के छठे अंक का प्रकाशन इस बात का सुखद संकेत है कि यह पत्रिका निरतंर ऊंचाइयों की और अग्रसर है।

प्रर्वतन संदेश ने निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति हेतु एक साझा मंच प्रदान किया है। इस पत्रिका के माध्यम से निदेशालय में साहित्यिक सृजन की प्रतिभा को पंख मिले हैं और हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रति उत्साह भी पैदा हुआ है।

मैं प्रवर्तन संदेश के इस नवीनतम अंक के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि निदेशालय में साहित्यिक और बौद्धिक रूझान को प्रोत्साहित करने में यह पत्रिका सहायक बनेगी तथा हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु अपना सार्थक योगदान करती रहेगी।

संजय कुमार मिश्रा

(संजय कुमार मिश्रा)

प्रधान विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि निदेशालय मुख्यालय की हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के छठे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं पत्रिका से जुड़े रचनाकारों, पाठकों एवं संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इस पत्रिका को प्रकाशित करवाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

पत्रिकाएँ विचारों के आदान–प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए, विभागीय पत्रिकाओं का योगदान राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में अत्यंत सराहनीय है। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देना हम सब का संवैधानिक कर्त्तव्य भी है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हिंदी पत्रिका का यह अंक कार्यालय के कर्मियों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा। हिंदी दुनिया की उन्नत भाषाओं में से एक है। हिंदी में कार्य करने में हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए।

पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के छठे अंक के प्रकाशन पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

सिमान्चल दास

(सिमान्चल दास)

विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

निदेशालय की वार्षिक हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" का छठा अंक आपके समझ प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। हिंदी भाषा के विकास, प्रचार–प्रसार और साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम हर विधा की उच्च स्तरीय रचनाएँ प्रस्तुत कर सुधी पाठकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। यह उल्लेखनीय है कि हिंदी पत्रिका प्रवर्तन संदेश में केवल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की रचना ही शामिल की जाती है। अतः सीमित दायरा होने के बावजूद, हमारा यही प्रयास रहता है कि पत्रिका सूचनापरक होने के साथ–साथ पाठकों की साहित्यिक अभिरूचि में वृद्धि करने योग्य हो।

इस अंक में भी विभागीय लेखों के साथ–साथ साहित्य की विविध विधाओं जैसे कविता, कहानी, संस्मरण, यात्रा–वर्णन आदि का समावेश किया गया है। आशा है कि कथ्य, शिल्प और विधा की विविधता की दृष्टि से पाठकों के लिए यह अंक भी रूचिकर तथा ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा।

मैं निदेशक तथा प्रधान संरक्षक महोदय जी का आभारी हूँ जो सदैव हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और अपने शुभकामना संदेश के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते रहने के साथ–साथ इन्होंने निदेशालय में हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है।

मैं निदेशालय के उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने पत्रिका हेतु अपने अमूल्य लेख तथा रचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पत्रिका से जुड़े रहें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पत्रिका का प्रकाशन एक समन्वित प्रयास का प्रतिफल होता है जिसके अथक प्रयास से यह पत्रिका मूर्त रूप से आपके समझ प्रस्तुत है।

पत्रिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें प्रबुद्ध पाठकों के अमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

देवेन्द्र गुप्ता

(डी.के.गुप्ता)

संयुक्त निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

संपूर्ण देश को फूलों की माला की तरह एकता के धागे में पिरोकर एक रखने में सक्षम तथा इसके लिए सतत उद्यमशील राजभाषा हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय की गृह पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के छठे अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत ही हर्ष एवं उल्लास की अनुभूति कर रहा हूँ।

पत्रिका के इस अंक को भी हमने विविधतापूर्ण रचनाओं एवं कार्यालयों की विभिन्न गतिविधियों की रंगीन छवियों आदि से स्तरीय बनाने का प्रयास किया है। पूरे भारत में फैले अपने निदेशालय के कार्मिकों की रचनाओं से ही "प्रवर्तन संदेश" पत्रिका अपने सतरंगी आयाम प्राप्त करती है। इसके लिए पाठकों, सभी रचनाकारों एवं अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं एवं संदेश भेजने वाले उच्चाधिकारियों के हम हार्दिक कृतज्ञ हैं। आशा है पत्रिका का यह अंक भी आपको पठनीय एवं उपयोगी प्रतीत होगा।

मैं आदरणीय निदेशक महोदय के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा एवं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के प्रकाशन तथा इसकी उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि का अनन्य स्थायी स्रोत रहे हैं । मैं अधीनस्थ कार्यालयों का भी उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए आभारी हूँ। मैं हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के आगामी अंक के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(डी॰ एस॰ सिद्धू)

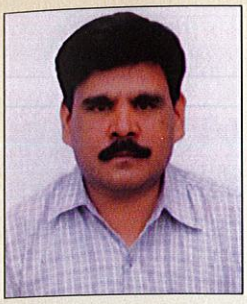

सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संपादक की कलम से......

हिंदी पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" ने अपने सफ़र में आज एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। इसके छठे अंक का प्रकाशन निश्चित ही एक उपलब्धि है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस लंबे सफ़र में इसने न केवल राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार को नए आयाम प्रदान किए, अपितु हमारी भावनाओं और अनुभवों को वाणी भी दी है।

गृह पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" का प्रकाशन कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न भाषा–भाषी कार्मिकों को अपने विचार राजभाषा हिंदी में व्यक्त करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। जब तक सरकारी कामकाज अंग्रेजी में करने की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हिंदी अपने अपेक्षित स्थान को प्राप्त नहीं कर सकती। मानसिकता परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हिंदी पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन पत्रिकाओं में योगदान देने वाले रचनाकार तो अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित होते ही है, अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करते हैं।

आज का युग सूचना–प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर का युग है। कार्यालयीन कामकाज को कंप्यूटर पर हिंदी में करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम नई–नई तकनीकों को अपनाएँ। इस दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किये गए आईटी, टूल्स और यूनीकोड जैसे सॉफ्टवेयर काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। हिंदी में टंकण और अनुवाद के लिए उपलब्ध इन टूल्स की सहायता से हम कम समय में ज्यादा काम हिंदी में कर सकते है। आईटी के इस्तेमाल को भी हिंदी के अनुरूप ढालना अपरिहार्य है क्योंकि हमारे पास बड़ा संख्या बल नहीं है।

मैं राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए मिलकर काम करने हेतु आप सभी का आह्वान करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रवर्तन निदेशालय हमारे सामूहिक प्रयास द्वारा हिंदी के कार्यान्वयन में अग्रणी स्थान हासिल कर लेगा।

(जगदीश प्रसाद मीना)

प्रशिक्षण से सशक्तीकरण की ओर

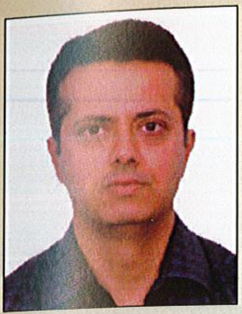

कोई भी संगठन अपने मूल्यों एवं सदाचारों के बल पर खड़ा होता है, जो उसके कार्य बल से प्रकट होता है। एक संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय अपने कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय उन कुछ सरकारी संगठनों में से एक है, जिनका अपने कार्यबल को नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने का अपना एक प्रशिक्षण केंद्र है। प्रवर्तन निदेशालय ने ''प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र'' नामक अपना प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, जिसे संक्षिप्त में ''इडिक्ट'' कहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशिक्षण पर इसलिए इतना ध्यान केंद्रित किया है कि प्रशिक्षण से ही संगठन का कार्य निष्पादन, क्षमता और कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक संगठन के रूप में हमारा यह मानना है कि इसे बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। हम अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करते हुए इस योगदान को बढ़ाते रहे है। पूरे वर्ष प्रशिक्षणों के माध्यम से हमने एक संगठन के रूप में इसे और अधिक सुदृढ़ किया है जिसकी वजह से कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। हम एक संगठन के रूप में नए प्रकार के प्रशिक्षणों को प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो हमारे अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए लाभदायक होते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी रहा है ताकि कार्य निष्पादन एवं अन्वेषण कार्यवाहियों के दौरान आने वाली असंख्य चुनौतियों का सामना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

1. **फेमा पर कार्यशाला (18–21 फरवरीए 2019) :** सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च के स्तर के 90 अधिकारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत अन्वेषण, उल्लंघन एवं न्याय निर्णयन तथा अपील से संबंधित मामलों की बेहतर समझ हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह कार्यशाला आर.बी.आई स्टाफ कॉलेज, चेन्नै के सहयोग से आयोजित किया गया।

2. **इनकेस सॉफ्टवेयर के हैंडलिंग के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (05–15 मार्च, 2019) :** सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के 10 अधिकारियों को इनकेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य का दक्षतापूर्वक हैंडलिंग करने से संबंधित तकनीकी जानकारी से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. **उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (29 अप्रैल–10 मई, 2019):–** प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले 34 अधिकारियों को इस निदेशालय से संबंधित कार्यसाधक ज्ञान एवं कार्यकलाप के बारे में अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 तथा धन शोधन निवारण

अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 के महत्त्वपूर्ण उपबंधों तथा इनसे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उक्त अधिनियमों को निदेशालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. **इनकेस सॉफ्टवेयर के हैंडलिंग के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (05–15 मार्च, 2019) :** सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के 08 अधिकारियों के दूसरे बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे इनकेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य के दक्षतापूर्वक प्रबंधन संबंधी तकनीकी जानकारी के बारे में अवगत हो सकें।

5. **कनिष्ठ अधिकारियों/कार्मिकों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु कार्यशाला (27 जून, 2019) :** अवर श्रेणी लिपिक से सहायक प्रवर्तन अधिकारी स्तर तक के 43 अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में अधिकारियों/कार्मिकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

6. **वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न के निवारण के बारे में कार्यशाला (28 जून, 2019) :** प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के 41 वरिष्ठ अधिकारियों के दूसरे बैच को प्रशिक्षित किया गया ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न के संबंध में अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। उन्होंने विशेष रूप से इस संबंध में प्रशिक्षित किया गया कि वे अपनी तैनाती के संगत स्थानों में अन्य सह अधिकारियों के साथ पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को साझा करें।

7. **उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (15–26 जुलाई, 2019):–** प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रवर्तन निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा इससे उच्च स्तर के 27 अधिकारियों को इस निदेशालय के कार्यसाधक ज्ञान एवं कार्यकलाप के बारे में अवगत कराने हेतु प्रशिक्षित किया गया। उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 के महत्त्वपूर्ण उपबंधों तथा इनसे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उक्त अधिनियमों को निदेशालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन निवारण में अधिकारियों/अन्वेषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में गहन अनुभव है और धनशोधन निवारण तथा आतंक वित्तपोषण प्रतिरोधी संचालनों के संबंध में अन्य एजेंसियों, जहां आवश्यकता हो, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

अमित दुआ
संयुक्त निदेशक,
मुख्यालय कार्यालय

एक हीरा व्यापारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से धोखधड़ी

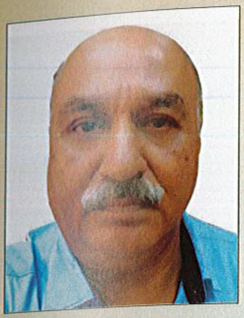

48 वर्ष के एक नामचीन हीरा व्यापारी ने मुंबई अवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से विदेशी काउंटरपार्ट बैंक के पक्ष में 11000 करोड़ रू0 से अधिक की राशि का वचनबंध–पत्र बनवाया, लेकिन अपनी देयताओं का भुगतान नहीं करते हुए उसने उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को इतनी राशि की चपत लगा दी। इस हीरा व्यापारी ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों की मदद से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस हीरा व्यापारी के भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, बेल्जियम, रूस, मकाऊ, सिंगापुर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, अर्मेनिया तथा यूनाइटेड किंगडम अवस्थित सौ से अधिक शैल कंपनियां इस धोखाधड़ी में संलिप्त थीं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त बैंक ने वर्ष 2018 में इस हीरा व्यापारी तथा उसके संबंधियों/सहयोगियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के इस कृत्य के लिए इनके विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस तथाकथित घोटाले की जांच आरंभ की। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त हीरा व्यापारी तथा उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों के विभिन्न व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों की तलाशी की गई, इस तलाशी में नौ लक्जरी कारें, करोड़ों रूपये के हीरा, सोना तथा आभूषण जब्त किए गए। धोखाधड़ी का यह कृत्य सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त बैंक के वरिष्ठ कार्मिकों की सहायता और संलिप्तता से किया गया। बैंक के इन कार्मिकों के विरूद्ध भी जांच की गई। बैंकों के दोनों कर्मचारियों को इस घोटाले में संलिप्त होने की वजह से गिरफ्तार किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के दौरान, इस हीरा व्यापारी तथा इसके संबंधियों/सहयोगियों के भारत के विभिन्न शहरों में अवस्थित 147.22 करोड़ रूपए मूल्य की संपत्ति धन शोधन अधिनियम(पीएमएलए),2002 के तहत कुर्क की गई। इसमें 8 कारें, संयंत्र तथा मशीनरी, आभूषण, पेंटिंग्स तथा कुछ भवन शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस हीरा व्यापारी तथा इसके संबंधियों/सहयोगियों की भारत तथा विदेश अवस्थित कुल मिलाकर 1725 करोड़ रू0 की अनेक संपत्ति जब्त की। विदेश अवस्थित भारतीय मिशनों द्वारा उक्त हीरा व्यापारी, उसकी पत्नी तथा अन्य संबंधियों/सहयोगियों की स्वामित्व वाली विदेश स्थित संपत्ति, जिसमें कई मकान, कारें, बैंक खाता, इत्यादि शामिल हैं, का पता लगाने और पीएमएलए, 2002 के तहत इन संपत्ति के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हीरा व्यापारी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के विरूद्ध स्वयं द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले का संज्ञान में आने से पहले ही भारत छोड़ दिया था और वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक की जा रही जांच प्रक्रियाओं में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। इस व्यापारी के विरूद्ध एक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया। इंटरपोल द्वारा भी धन शोधन के दोषारोपण के मामले में उक्त हीरा व्यापारी के विरूद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।

जब ब्रिटिश अखबार 'द टेलीग्राफ' के माध्यम से यह पता चला कि उक्त हीरा व्यापारी यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है, तो प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में उसके प्रत्यार्पण के लिए मुम्बई के विशेष न्यायालय में अनुरोध दायर किया। यह पता चला कि उक्त व्यापारी लंदन में एक 8 मिलियन पाँड के लक्ज़री अपार्टमेंट में रह रहा था। भारत सरकार ने उक्त

व्यापारी के प्रत्यार्पण हेतु यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों को अनुरोध–पत्र भेजा। लंदन के न्यायालय ने उक्त भगोड़ा हीरा व्यापारी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया तथा लंदन के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लंदन के न्यायालय ने उसकी जमानत की अपील को खारिज़ करते हुए उसे जेल भेज दिया। उसके द्वारा दोबारा की गई जमानत अपील भी लंदन न्यायालय द्वारा पुनः खारिज़ कर दी गई। इस निदेशालय के अधिकारियों ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों से मुलाकात की तथा उन्हें उक्त व्यापारी और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध आरोपों और साक्ष्यों की जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उक्त हीरा व्यापारी व उसकी पत्नी के विरूद्ध 14356 करोड़ रू0 से अधिक राशि के धनशोधन के मामले में भारत में विशेष न्यायालय में आरोप–पत्र दायर किया है। निदेशालय उक्त हीरा व्यापार के शीघ्र प्रत्यावर्तन होने और इस मामले की कार्रवाई न्यायसंगत रूप से पूरी होने की उम्मीद रखता है।

ए.के. कौशल
उप निदेशक,
मुख्यालय कार्यालय

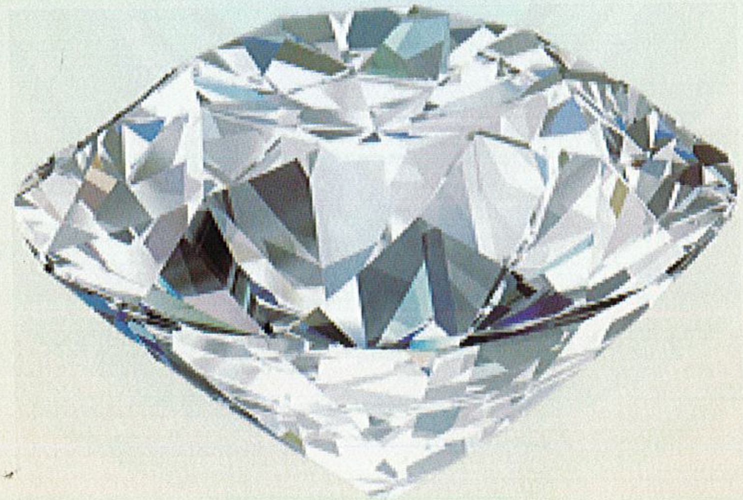

प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता और उसका कार्य क्षेत्र

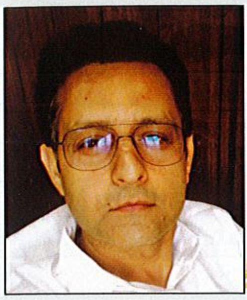

प्रर्वतन निदेशालय भारत की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है जो भारत के संविधान और विधियों के प्रभावी अनुपालन के लिए उत्तदायी है। सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी हमारे आधारभूत मूल्यों के प्रमुख और अभिन्न अंग हैं जिनका उल्लेख निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी किसी भी कार्यालय में कार्यरत कार्मिक के नैतिक एवं व्यक्तिगत आचरण में बहुत महत्व रखती है। निदेशालय सदा से ही अपने अधिकारों की सत्यनिष्ठा व कार्य के हेतु लगन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि निदेशालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों में अपना स्थान बनाया है। यह इस निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की अथक मेहनत व प्रयासों से ही संभव हुआ है। निदेशालय के प्रमुख सिद्धांत सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के कार्यान्वयन का ही परिणाम है कि निदेशालय के द्वारा कई छोटे व बड़े मामलों की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है। जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी सराहा गया है। यहां पर यह इंगित करना बहुत जरूरी है कि अपने अधिकारियों व कर्मचारियों में यह क्षमता जागृत करने में निदेशालय के उच्च अधिकारियों विशेषकर निदेशक महोदय व प्रधान विशेष निदेशक महोदय व विशेष निदेशक महोदयों का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन का भी अहम योगदान है।

प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के लिए प्रेरित करने के लिए, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए और नीतिपरक सत्यनिष्ठा को जागृत करने के लिए तथा साथ ही निदेशालय में प्रचलित सतर्कता प्रणाली को कई नए आयाम देने के लिए सतर्कता प्रणाली को भी नया रूप दिया गया है। जिसके कुछ प्रमुख बिंदु निमन्वत हैं :–

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं भारत सरकार की विभिन्न नितियों/आदेशों के प्रभावी अनुपालन करने के लिए निदेशालय के सतर्कता तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया गया है। जिसके तहत सतर्कता शक्तियां अलग–अलग क्षेत्रीय विशेष निदेशकों व संयुक्त निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गयी हैं। इस संदर्भ में मुख्यालय सतर्कता अनुभाग ने एक परिपत्र दिनाक 17.10.2013 के तहत सतर्कता प्रणाली का पूर्ण विकेन्द्रीकरण कर दिया तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करके इसको और स्पष्ट व प्रभावी बनाया गया है।

2. निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों का प्रभावी एवं गोपनीय तरीके से निष्पक्ष निषादन करना।

3. सतर्कता संबंधी मामलों में प्रभावी कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय कार्यलयों, आंचलिक कार्यालयों, उप आंचलिक कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना।

4. मुख्यालय सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मामलों के कार्य के अलावा अलग–अलग क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक क्षेत्रीय व उप आंचलिक कार्यालयों में तैनात अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व अचल संपत्ति रिटर्न संबंध कार्यों का निष्पादन करता है।

5. निदेशालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी मुख्यालय सतर्कता अनुभाग द्वारा सतर्कता मंजूरी समयबद्ध तरीके से दी जाती है।

6. लोक हित में प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए मूल नियमावली (एफआर) 56 (j) और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों कि आवधिक समीक्षा भी की जा रही है।

7. मुख्यालय सतर्कता अनुभाग, निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में हर वर्ष सतर्कता सप्ताह के आयोजन कर सभी अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाता हैं।

8. सतर्कता अनुभाग समय–समय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) व केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त आदेशों को अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी एंव अनुपालन के लिये प्रेषित करता है।

9. प्रधान विशेष निदेशक महोदय/विशेष निदेशक महोदय समय–समय पर अलग–अलग क्षेत्रीय व उप आंचलिक कार्यालयों का निरीक्षण करके सतर्कता संबंधी विषयों का भी अवलोकन करते हैं तथा इसकी रिपोर्ट तिमाही बैठक में रखी जाती है।

इस तरह, एक दृढ़ सतर्कता प्रणाली के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय पारदर्शिता एवम् सत्यनिष्ठा के साथ कार्यरत है ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर प्रहार किया जा सके और निदेशालय में सच्चाई और सदाचार की नींव डाल कर निदेशालय को नई उंचाइयों पर ले जाया जा सके। जिसके परिणामस्वरूप विधि द्वारा स्थापित नियमों का प्रभावी पालन करने के लिए सभी अधिकारियों को प्रेरित करने में सतर्कता अनुभाग का योगदान एक मील का पत्थर साबित होगा।

रोहित आनंद
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

हिंदी राजभाषा

संविधान के लागू होने के साथ – साथ 26 जनवरी, 1950 से संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी। संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 के दिन मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

धारा 351 में भारत सरकार को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति (Composit culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके अनुपालन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 से प्रारम्भ किया बाद में यह कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी का प्रशिक्षण कार्यालय उस समय से संचालित किया जा रहा है।

1. **हिंदी प्रशिक्षण का उद्देश्य :–** केंद्र सरकार एवं इसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो को हिंदी की जानकारी देने के साथ–साथ उन्हें उनके कार्यालयीन कार्य में हिंदी की दक्षता, क्षमता एवं कौशल प्रदान करता है।

2. **हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता :–** प्रारम्भ में हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक था किंतु बाद में अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति जी का आदेश जारी होने के बाद हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (वर्ग 'घ' के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कार्यप्रभारित अधिकारियों/कर्मचारियो को छोड़कर) अनिवार्य कर दिया गया ।

   इसके अतिरिक्त अवर श्रेणी लिपिकों, अंग्रेजी टंककों, अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपिक का प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया।

3. सन् 1974 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों उपक्रमों बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी, हिंदी टंकक तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

4. फरवरी 1993 से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिनसे डेस्क कार्य की अपेक्षा की जाती है के लिए भी हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।

राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम

संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात् इसमें संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है राजभाषा नीति के मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं :–

1 भारत का संविधान

2 राजभाषा अधिनियम 1963, यथासंशोधित 1967

3 राजभाषा संकल्प 1968

4 राजभाषा नियम 1976 यथासंशोधित 1987

5 राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश, अनुदेश आदि

हिंदी की संवैधानिक स्थिति :–

संविधान के अनुच्छेद 120 (भाग–5), अनुच्छेद 210 (भाग–6), अनुच्छेद 343, 344 और 348 से 351 के अंतर्गत संघ की राजभाषा नीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351) में संघ तथा राज्यों की राजभाषाओं का निर्धारण किया गया है।

1. संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध :–

(क) संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रुप होगा। (भाषा को जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं)

(ख) अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानि 26 जनवरी, 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा।

(ग) अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद की अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है ।

2. राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति का गठन :–

(क) राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हिंदी के विकास एवं प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया।

(ख) अनुच्छेद 344(2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(ग) अनुच्छेद 344(3) के अनुसार आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है (20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से) समिति की पहली बैठक 16 नवम्बर, 1957 को तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संपन्न की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद 343 की प्रद्त्त शक्तियो का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

3. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ :–

(क) अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने यहाँ प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहें तो अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी कर सकते हैं।

(ख) अनुच्छेद 345 पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को अपनी राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए केंद्र की भांति 15 सालों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी सुविधानुसार

किसी भी समय अंग्रेज़ी की जगह सभी कार्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा या राजभाषाएँ अपनाने के लिए स्वतंत्र थे जो कि संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ हैं।

4 संघ और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा :—

(क) अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है। वहीं संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

5 राज्य की किसी भी भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता देना:—

(क) अनुच्छेद 347 में राष्ट्रपति जी राज्य की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए मान्यता दे सकतें है।

6 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा :—

(क) अनुच्छेद 348(1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कि सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी में होंगी।

(ख) 348(2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकि सभी कार्रवाइयों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता।

(ग) अनुच्छेद 348 (3) के अनुसार यदि किसी राज्य में विधि के लिए अंग्रेज़ी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गज़ट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेज़ी अनुवाद उनका प्राधिकृत पाठ होगा।

7 भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया :—

(क) अनुच्छेद 349 में यह गया है कि 348(1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के पहले कानून बन जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

8 आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा :—

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन/अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है यह शर्त ज़रुर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से कोई एक में होना चाहिए और अगर यह किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए।

(क) अनुच्छेद 350(क) तथा अनुच्छेद 350 (ख) के द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है।

2. राजभाषा अधिनियम 1963 तथा यथासंशोधित 1967

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा उक्त अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुल 9 धाराएँ और 11 उपधाराएँ अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:—

1. यह अधिनियम अंग्रेज़ी के सतत् प्रयोग की अनुमति देता है :—

(क) संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए और

(ख) संसद में कार्य करने के लिए

2. यह संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच परस्पर पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रयोग को निर्धारित करता है ।

3. यह 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है जैसे अधिसूचनाएं, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा, सूचना, निविदा फार्म, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, संसद के किसी सदन या दोनो सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात।

3 राजभाषा संकल्प 1968

राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन करने के साथ–साथ संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1967 में एक संकल्प पारित किया जो 18 जनवरी 1968 में अधिसूचित किया इसे राजभाषा संकल्प 1968 की संज्ञा दी गई और यह सरकार की राजभाषा नीति का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें पहली बार संसद में कार्यपालिका अर्थात् सरकार को निदेश दिए कि हिंदी के प्रचार और विकास एवं राजकीय प्रयोजनों के लिए उसका क्रमिक प्रयोग बढ़ाने हेतु एक गहन तथा व्यापक कार्यक्रम तैयार करे साथ ही इस विषय में प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाए।

4 राजभाषा नियम 1976 यथासंशोधित 1987:–

यह नियम राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के उपबंधों के अंतर्गत बनाया गया है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976 है। (ख) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू है।

2. परिभाषाएँ :–

नियम 2 में केंद्रीय सरकार के कार्यालय, हिंदी का कार्यसाधक, हिंदी में प्रवीणता आदि की परिभाषाएं दी गई हैं।

(क) अधिनियम से अभिप्राय राजभाषा अधिनियम 1963 है।

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से अभिप्राय निम्नलिखित कार्यालयों से है।

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग तथा कार्यालय।
2. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या समिति आदि।
3. केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन निगम, निकाय, स्वायत संगठन , राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

(ग) कर्मचारी से अभिप्राय केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियुक्त व्यक्ति

(घ) अधिसूचित कार्यालय से अभिप्राय नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय

(ङ) 'हिंदी में प्रवीणता' से अभिप्राय 'नियम 9 में वर्णित प्रवीणता' से है

(च) 'हिंदी में कार्यसाधक' से अभिप्राय 'नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान' से है।

(छ) कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों 'क' अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 'ख' अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ तथा दमन दीप, दादर एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र 'ग' केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर,

उडीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम तथा मणिपुर।

3. केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों तथा राज्यों आदि के साथ पत्राचार की व्यवस्था :–1 'क' क्षेत्र के किसी राज्य या किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी में होगा। क क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों तथा जनता के साथ सामान्य स्थिति में पत्राचार केवल हिंदी भाषा में होगा अन्य स्थिति में अंग्रेज़ी।

2. 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों के साथ पत्राचार हिंदी और अंग्रेज़ी होगा तथा ख क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार भी हिंदी अंग्रेज़ी में होगा।

3. 'ग' क्षेत्र की राज्य सरकारों अथवा वहाँ की जनता के साथ पत्राचार केवल अंग्रेज़ी में होगा।

4. 'ग' क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के कार्यालय क अथवा ख क्षेत्र के किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश को अपने पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेज सकता है।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच में पत्राचार :–

1. मंत्रालयों/विभागों के बीच पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा।
2. क क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/कार्यालयों, विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी में होगा।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने की अनिवार्यता :–

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार सभी क्षेत्रों से प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है।

6. 14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी जारी करना:–

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में दिए गए दस्तावेजों को द्विभाषी भेजना आवश्यक है अर्थात् अधिसूचनाएँ, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा फार्म, संसद के किसी भी सदन में दस्तावेज़ रखे जाने वाले दस्तावेज़ आदि।

7. आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा :–

कर्मचारी आवेदन, अपीलें या अभ्यावेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकता है यदि ये हिंदी में हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हो तो उनका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा यदि कोई कर्मचारी सेवा से संबंधित, अनुशासनिक विषय या कोई आदेश अथवा सूचना की प्राप्ति की मांग करता है तो वह उसे बिना विलंब उसकी मांग के अनुसार उसी भाषा में दी जाएगी।

8. हिंदी अथवा अंग्रेजी में टिप्पणी :–

कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में लिखने के लिए स्वतंत्र है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

(क) नियम 8(1) यदि कोई विशेष दस्तावेज़, विधिक प्रकृति का है अथवा तकनीकी प्रकृति का है तो इसका निर्णय विभाग अथवा उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ख) नियम 8(2,3) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेज़ी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है तब वह विधिक या तकनीकि प्रकृति का हो अन्यथा नहीं।

(ग) नियम 8(4) के अनुसार किसी कर्मचारी ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन संबंधित कार्यालय अधिसूचित किया जा चुका है, विनिर्दिष्ट किया जा सकता है कि उस

कार्यालय में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट न किए जाए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिंदी में प्रवीणता (Proficiency) :–

यदि किसी कर्मचारी ने

1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है (नियम 9 क)।
2. स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। (नियम 9 ख) या
3. निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा कर दे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है (मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। (नियम 9 ग)

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान

यदि किसी कर्मचारी ने

1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है या
2. केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है या
3. अधिकारी या कर्मचारी यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।
4. यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने की व्यवस्था है।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रकिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि

1. लेखन सामग्री, नामपट्ट, पत्रशीर्ष , लिफाफे, विजिटिंग कार्ड, रबर की मोहरें, हिंदी व अंग्रेज़ी में लिखी जाएंगी व मुद्रित की जाएंगी।
2. साइन बोर्ड तीनों भाषाओं में क्रम से (राजभाषा हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेज़ी में) समान आकार के वर्णो में होंगे।
3. प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी का प्रयोग करना है। प्रशिक्षण सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार करनी है।
4. जिन दस्तावेजों पर स्थान की कमी हो, उन पर मोहर एक ही भाषा में लगाई जा सकती है।
5. सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र द्विभाषी होंगे। स्टाफ कार की प्लेटों पर नाम ऊपर हिंदी में और नीचे अंग्रेज़ी में होगा।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व :–

प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें इस प्रयोजन के लिए उन्हें उपयुक्त और प्रभावी जाँच बिंदु बनाने चाहिए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह राजभाषा अधिनियम/ नियम के अनुसार जारी किया गया है।

जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक,
मुख्यालय कार्यालय

फेमा और भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विदेशीं विदेशी मुद्रा का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। जिसका उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीम की घोषणा करना तथा उनके लिए दिशा–निर्देश तय करके उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है। तदनुसार, ए.पी. (डीआईआरसीरीज) परिपत्रों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। विगत 12 महिनों में कुछ प्रमुख स्कीमों को लागू करने के लिए निम्नलिखित ए.पी. (डीआईआरसीरीज) परिपत्र जारी किए गए है :–

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति उदारीकरण :–

दिनांक 19.09.2018 के ए.पी. (डीईआरसीरीज) परिपत्र सं० 9 के अनुसार, ''बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार, ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विद्रेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने'' से संबंधित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं० 05 के पैराग्राफ 2.4.1 तथा 3.3.3 परिवर्तनों का अद्यतन करते हुए संशोधन किए गए है।

2. तदनुसार रूपये में मूल्यवर्गीकृतबांण्ड (RDB) से संबंधित नीति सहित ईसीबी नीति के कुछ पहलुओं को नीचे दिए गए अनुसार उदारीकृत बनाया गया है :–

- **विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) :** मौजूदा मानदंडो के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक न्यूनतम 3 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि की ईसीबी जुटाई जा सकती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को न्यूनतम 1 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक की ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए।

- **विदेशों में जारी किए गए रूपये में मूल्यवर्गीकृतबॉण्ड (RDB) के लिए भारतीय बैंको द्वारा हामीदारी तथा बजार निर्माण :** वर्तमान में भारतीय बैंक, यथा लागू विवेकपूर्ण मानदंडो के अधीन, विदेश में जारी किए आरडीबी के लिए व्यवस्थापक तथा हामीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा किसी निर्गम के लिए हामी भरने के मामले में उसकी धारिता निर्गम जारी होने के 6 महीने बाद उस निर्गम की राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यह निर्णय लिया गया कि यथा लागू विवेकपूर्ण मानदंडो के अधीन भारतीय बैंको को विदेश में जारी आरडीबी के व्यवस्थापक/हामीदार/बज़ार/निर्माता व्यापारियों के रूप में सहभागी होने की अनुमति दी जाए।

इसके अलावा, दिनांक 03.10.2018 के ए.पी. (डीईआरसीरीज) परिपत्र संख्या, 10 के अलावा, ''बाह्य वाणिज्यक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने'' से सम्बन्धित 01जनवरी 2016 के मास्टर निवेश सं. 05 के पैरा 2. 4.5, 2.4.6 तथा 2.5 में परिवर्तनो का अद्यतन करते हुए निम्नलिखित संशोधन किए गए है :–

I. मौजूदा नीति के अनुसार, कार्यशील पूंजी प्रयोजन हेतू ट्रैक I एवं III के तहत ईसीबी जुटाई जा सकती है यदि ऐसी ईसीबी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ईक्विटी धारकों या किसी समूह अवधि के लिए हो। भारत सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रावधान को उदार बनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को स्वचलित मार्ग के तहत सभी मान्यता प्राप्त उधारकर्ताओं से 3/5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए।

II. इसके अलावा, ईसीबी ढाँचे के अनुसार, 750 मिलियन अमरीकी डॉलर इसकी समतुल्य राशि की व्यक्तिगत सीमा और अनिवार्य हेजिंग अपेक्षाओं को इस अभिमुक्ति के तहत उधार हेतु अभिव्यक्त भी कर दिया गया है। हालांकि, ऐसे ईसीबी के लिए, विपणन प्रक्रिया तथा विवेकशील जोखिम प्रबंधन नीति हेतु ओएमसी के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित फोरेक्स चिह्न होना चाहिए।

III. ऐसे ईसीबी के लिए समग्र अधिकतम सीमा दस बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के समतुल्य होगी तथा यह सुविधा इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। ईसीबी नीति के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(2) बाहरी वाणिज्यक उधार (ईसीबी) नीति–न्यूनतम औसत परिपक्वता तथा हेजिंग प्रावधानों की समीक्षा।

दिनांक 06.11.2018 के ए.पी. (डीईआरसीरीज) परिपत्र सं० 11 के अनुसार, "बाह्य वाणिज्यक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने" से सम्बन्धित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निवेश सं. 05 के पैराग्राफ 2.4.1., 2.4.2. तथा 2.5 में परिवर्तनों को अद्यतन करते हुए संशोधन किए गए हैं, जिसके अनुसार ट्रैक–1 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित ईसीबी, जिसकी न्यूनतम औसत परिपक्वता की आवश्यकता 5 वर्ष है, जुटाने वाले कतिपय पात्र उधारकर्ताओं को अपने ईसीबी एक्सपोज़र को अनिवार्यतः पूर्णतः हेज करना आवश्यकता है।

(2) तदनुसार, ईसीबी ढांचे के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करते हुए मौजूदा प्रावधान की समीक्षा की गई है

I. न्यूनतम औसत परिपक्वताः उपर्युक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 2.4.2(vi) में दिए गए अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा आधारभूत संरचना (इंनफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में जुटाई गई अपेक्षा को मौजूद 5 वर्ष से घटा कर 3 वर्ष किया जाएः तथा

II. हैजिग की अपेक्षा : उपर्युक्त संदर्भित पात्र उधारकर्ताओं द्वारा जुटाई गई ईसीबी पर लागू अनिवार्य हेजिंग प्रावधान से छूट जाने के लिए औसत परिपक्वता संबंधी अपेक्षा को मौजूद 10 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष किया जाए। तदनुसार आधारभूत संरचना (इंनफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी हेतू 100% तक की अनिवार्य हेज़िंग अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधित प्रावधान के अंतर्गत आने वाले

लेकिन इस परिपत्र की तारीख से पूर्व जुटाए गए ईसीबी को अपने विद्यमानहेजेस को अनिवार्य रूप से रोल–ओवर करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति–हेजिंग संबंधी प्रावधानों की समीक्षाः

दिनांक 26.11.2018 के ए.पी. (डीईआरसीरीज) परिपत्र सं० 15 के अनुसार, ''बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार, ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने एवं उधार देने'' से संबंधित 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं० 05 के पैराग्राफ 2.4.2 तथा 2.5 तथा 6 नवंबर 2018 के ए.पी (डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं० 11 में, परिवर्तनों को अद्यत्न करके कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके अनुसार ट्रेक–। के अंतर्गत 3 तथा 5 वर्ष के बीच की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गिकृत ईसीबी जुटाने वाले कतिपय पात्र उधारकर्ताओं को अपने ईसीबीएक्सपोजर को अनिवार्यतः पूर्ण रूप से हेज करना आवश्यक है।

तदनुसार, प्रावधानो की पूनः समीक्षा करने के पश्चात, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 2.4.2(vi) में दिए गए अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा ईसीबी ढांचे के ट्रैक–। के अंतर्गत 3 तथा 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता के लिए जुटाई गई ईसीबी के लिए अनिवार्य रूप से हेजकवरेज को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दायरे के अंतर्गत आने वाली किन्तु इस परिपत्र की तारीख से पूर्व जुटाई गई ईसीबी को अपने मौजूदा हेज को बकाया ईसीबीएक्सपोजर के केवल 70 प्रतिशत तक अनिवार्यतः बनाए रखना जारी रखा जाए।

4. विदेशी देयताओं तथा आस्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी–भारतीय कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग

1. दिनांक 28.06.2019 के ए.पी, (डीईआरसीरीज) परिपत्र सं० 37 के अनुसार, दिनांक 20 जून, 2012 के ए.पी. (डीईआरसीरीज) परिपत्र सं० 133 में अद्यतन करते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीय कंपनियो को, जिन्होने वर्तमान वर्ष सहित पिछले वर्ष (वर्षों) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है और/अथवा विदेश में निवेश (अर्थात ओडीआई या समुद्रपारीय निवेश) किया है, उन्हें विदेशी देयताओं तथा अस्तियों (एफएलए) संबंधी वार्षिक विवरणी सॉफ्टफॉर्म में फाइल करनी अपेक्षित है। इस विवरणी को विधिवत रूप से भर कर, उसे विधिमान्य करते हुए प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई तक रिजर्व बैंक को ई–मेल द्वारा भेज दिया जाए। अनुवर्ती परिपत्रों (दिनांक 18 जून, 2014 के ए.पी. (डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं० 145, दिनांक 21 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं० 22 तथा दिनांक 2 फरवरी 2017 के ए.पी(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं०/29) के माध्यम से इसकी (एफएटीएस) की रिपोर्टिंग तथा सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपीएस) द्वारा रिपोर्टिंग को भी जोड़ दिया गया है।

2. डेटा प्रस्तुति में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा डाटा की गुणवत्ता में और सुधार करने के उद्देश्य से एफएलए विवरणी की प्रस्तुति के लिए वर्तमान ई–मेल आधरित रिपोर्टिंग प्रणाली को वेब आधारित प्रणाली अर्थात ऑनलाइन रिपोर्टिंगपोर्टल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे पात्र संस्थाओं (जिनमें भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)

में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एफआईएफ) तथा एलएलपी के मामले में पूंजी/लाभ शेयर अंशदान के रूप में प्राप्त/अंतरित विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग तथा किसी निवेश माध्यम में तथा विदेशी मुद्रा, प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियम, 2017, दिनांक 7 नवंबर, 2007 में परिभाषित किए गए अनुसार भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश शामिल है) को डाटा प्रस्तुत करने में सुविधा होगी।

3. संशोधित विदेशी देयताओं तथा अस्ति सूचना रिपोर्टिंग प्रणाली (FLAIR) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

(ए) रिज़र्व बैंक "उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" (जिसमें संस्था की पहचान तथा कारोबार उपयोगकर्ता के ब्यौरे होंगे, जहां एलएलपी तथा एआईएफ को प्रतिरूपी सीआईएन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी) को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को एक वेब–पोर्टलइंटरफेस https://flair.rbi.org.in प्रदान करेगा। वेब–पोर्टल पर पंजीकरण सफल होने के बाद उपयोगकर्ता एफएलए प्रस्तुतीकरण गेट–वे का उपयोग करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया लॉगिन– नाम तथा पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे तथा उसमें प्रस्तुत किए गए डाटा पर सिस्टम द्वारा संचालित प्रमाणीकरण जांच में शामिल होंगे।

(बी) उक्त फॉर्म पहले की भांति राजकोषीय आधार पर निवेशक–वार प्रत्यक्ष निवेश तथा अन्य वित्तीय ब्यौरे लेगा, जहाँ सभी रिपोर्टिंग संस्थाओ को एफटीएस से संबंधित चरों संबंधी सूचना प्रदान करना आवश्यक है (पूर्व में यह केवल अनुषंगी कंपनियो के लिए अनिवार्य था)। इसके अलावा संशोधित फॉर्म में एफडीआई/ओडीआई तथा विनिवेश की प्राप्ति के पहले वर्ष से संबंधित सूचना देना आवश्यक है।

(सी) फॉर्म की सफल प्रस्तुति के बाद रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को सिस्टम द्वारा जनरेट की गई प्राप्ति सूचना मिलेगी।

(डी) आवश्यकता होने पर वे डाटा में संशोधन कर सकते हैं तथा प्रस्तुत की गई सूचना को देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

(ई) आरबीआई को किए गए अनुरोध के इ–मेल पर आरबीआई की पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात संस्थाए पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए एफएलए सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

(एफ) एफएलएफॉर्म के ई–मेल आधारित प्रस्तुति की विद्यमान प्रणाली समाप्त हो जाएगी।

4. उपयुक्त का अनुपालन नहीं करने वाली भारतीय संस्थाओं को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन नहीं करने वाली संस्था माना जाएगा।

के.डी. वर्मन
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

संस्मरण

भूलते नहीं वे दिन

मैंने 1998 में पुलिस विभाग ज्वॉइन किया। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई थी। किसी नई नौकरी के शुरूआती दिन बहुत रोमांचकारी होते हैं और जीवन भर नहीं भूलते।

1. चाय पर चर्चा का एक अनूठा समय – मुझे याद है वो चेकपोस्ट पर अपनी पुलिस जिप्सी में रात–रात भर बैठे रहना और हर आती जाती गाड़ी पर नज़र रखना। उन दिनों पूरी रात आँखों में कट जाती थी। सुबह के तीन बजे अब दूर–दराज़ के जिलों में अख़बार पहुंचाने वाली गाड़ियां हमारी चेकपोस्ट से गुजरती थीं, तो हमें भी अखबार की एक–एक प्रति पकड़ा जाती थीं। तीन बजे के करीब हम सभी अधिकारी किसी एक चेकपोस्ट पर इकठ्ठा होते थे। यह चाय का वक़्त तो नहीं होता था, फिर भी हम एक एक कप चाय के साथ गपशप का मज़ा लेते थे और साथ ही तमाम अख़बार भी पढ़ डालते थे। वो भी क्या दिन थे, जब पूरी रात जागने और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कोई साढ़े तीन चार बजे हम सोने के लिए जाते थे और सुबह 10 बजे फिर अपने–अपने कार्यालयों में पूरी ताज़गी और तैयारी के साथ जनता से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए बैठे होते थे।

2. सत्तापक्ष और विपक्ष में सामंजस्य – उन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था बनाये रखना मेरी अहम् प्राथमिकता थी, क्योंकि वह मेरे क्षेत्राधिकार में आता था। मैं खुद लखनऊ कॉल्विन कॉलेज में पढ़ा हूँ तो विश्वविद्यालय के तमाम शरारती तत्वों ओर नए पुराने अध्यक्षों से वाकिफ़ भी था। कुछ पुराने अध्यक्ष तो मेरे दोस्त ही थे। जब विश्वविद्यालय में कुलपति के किसी फैसले के बिरोध में या अपनी मांगें मनवाने के लिए छात्रों द्वारा प्रदर्शन आदि होते तो ये सभी अध्यक्ष उनके साथ आ जुटते थे और इनकी शह पर भीड़ में मौजूद शरारती तत्व शान्ति भंग करने की कोशिश करते और उत्पात मचाते थे। उन्हें तितर–बितर करने के लिए हमें लाठीचार्च भी करवाना पड़ता था। उस समय मेरे पुराने मित्र विपक्ष में होते थे और मुझे सरकारी सेवा में होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता था। वह क्षण बहुत मज़ेदार होता था जब सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ नारे बाजी करते और फिर लाठीचार्ज के बाद घर चले जाते। यह भी क्या इत्तेफ़ाक़ था कि दिन में मैं लाठीचार्ज करवाता और शाम को उन्हीं लोगों को अपने कार्यालय में बुलाकर चाय भी पिलाता। वे हमेशा मुझसे कहते कि मैं भी कुलपति के विरोध में उनके साथ होता, यदि मैं पुलिस में न होता, और मैं मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनता रहता।

3. एक एनकाउंटर की कहानी – उन्हीं दिनों की बात है, शहर में क्राइम रेट काफी बढ़ गया था। डकैती, अपहरण और लूट के कई मामले सिर पर सवार थे। वांछित अपराधियों की लिस्ट लम्बी होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि पुलिस महकमा काम नहीं कर रहा था। वह तो हर वक़्त काम में मशगूल रहते थे। बावजूद इसके क्राइम रेट बढ़ रहा था। अपराधी काबू के बाहर थे। जनता त्रस्त थी। हर बड़े अपराध के बाद प्रदेश सरकार पर विपक्ष और मीडिया का दबाव बढ़ जाता था। दरअसल थानों पर काम का बोझ बढ़ जाता था। ज़्यादातर थानेदार रोज़मर्रा का कामकाज, फाइल वर्क और छोटे–छोटे अपराधों के मकड़जाल में ही उलझे रहते थे। थानों में संसाधन भी कम थे और संख्याबल भी। राजधानी लखनऊ को किसी भी तरह अपराध–मुक्त करने का बड़ा दबाव हम पर था। वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग और विश्वास से हमें काम करने की छूट मिली तो एक मजबूत टीम का गठन हुआ। मुख़बिर सक्रिय हुए, जाल बिछाए गए और धड़ाधड़ अपराधी पकड़े जाने लगे। कई खूंखार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में या तो पकड़े गए या मारे गये। 15 माह में लखनऊ शहर में 15 बड़े बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। थोड़े से प्रोत्साहन पर जांबाज़ पुलिसकर्मी बेख़ौफ़ होकर अपराधियों के सीधे टक्कर लेने लगे। प्रदेश पुलिस की तारीफ़ अख़बारों–पत्रिकाओं में होने लगी। उन्हीं दिनों की बात है जब हमारा पीएसओ रात में अपनी ड्यूटी पूरी करके साईकिल से घर जा रहा था।

वह लखनऊ के हनुमान सेतु पर पहुँचा ही था कि मोटरसाईकिल से आये बदमाशों ने उसको धक्का देकर गिरा दिया और उसके कंधे पर लटकी कार्बाइन छीन ली। उसने विरोध किया तो बदमाश उन पर फायर करके फ़रार हो गए। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुँचे। मैंने घायल कॉन्सटेबल को उठा कर अपनी जिप्सी में डाला। जिप्सी तेजी से अस्पताल की ओर भागी, मगर उन्होंने रास्ते में ही मेरी आँखों के सामने दम तोड़ दिया। घटना ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वे मेरे जीवन के भावनात्मक तनाव और उथल–पुथल के सबसे गंभीर क्षण थे। मेरी टीम एक हफ्ते तक नहीं सोयी जब तक हमने अपराधी को मारकर लूटी गयी काबाईन को बरामद नहीं कर लिया। दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर में मारे जाने पर, वर्ष 2005 में मुझे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए पुलिस सेवा में वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार 'राष्ट्रपति वीरता पदक' से नवाज़ा गया।

4. क्राइम ब्रांच का नया दफ्तर– थानों पर काम के बोझ को कम करने के इरादे से लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में क्राइमबांच का अलग से दफ्तर खोला गया जिसका जिम्मा सबसे पहले मेरे कन्धों पर डाला गया। मैं खुश था। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेश सरकार ने मुझ पर जो विश्वास जताया था, उसने मेरा ही नहीं, मेरी टीम का हौसला भी कई गुना बढ़ा दिया था। जब क्राइम ब्रांच ने पचास से ज़्यादा डकैतियों में वांछित खूंखार अपराधी जग्गा को पकड़ कर जेल भेजा तो लखनऊ की जनता खुशी से झूम उठी। इसके बाद हम कुख्यात कच्छा बनियान गिरोह के पीछे लग गए, जो रात में घरों में घुस कर लूटपाट करता था। यह गिरोह तब तक कई निर्दोष लोगों की जाने ले चुका था। और लाखों का सामान लूट चुका था। इस गैंग के ज़्यादातर हत्यारों–लुटेरों का हमने सफ़ाया कर डाला। बहुत ज़रूरी था। इस गैंग के सफ़ाये के बाद लखनऊ की जनता ने चैन की सांस ली।

मेरा अनुभव रहा है कि अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो जनता खुल कर पुलिस का साथ भी देती है और सूचनाएं भी पहुंचाती है। मैं देखता था कि अपराधियों के प्रति लोग खुलकर नफरत प्रकट करते थे, उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता था। कई अपराधी तो ऐसे थे, जो एनकाउंटर में मारे गए और उनके शव लेने के लिए उनके परिजन तक नहीं आये क्योंकि वे मानते थे कि उनका लड़का गलत राह पर था और उसका यही अंज़ाम होना था।

पुराने उन दिनों की यादें आज भी ज़हन में ज्यों की त्यों अटूट बनी हुयी हैं। वो दिन क्या कभी भुलाये जा सकते हैं? कभी नहीं! वे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं।

डॉ. राजेश्वर सिंह
संयुक्त निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

ऐ मेरे वतन

ऐ मेरे वतन की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों, हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की चिताओं पर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने वाले खुले में जिंदा हैं।

ऐ मेरे वतन की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे बलिदान और त्याग का अपमान कर, उसके नाम पर वतन से गद्दारी कर राज करने वाले आज भी खुशी से ज़िंदा हैं। ऐ मेरे वतन की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हें जो मिलना चाहिए वह दिलाने की बात भी आज झूठ का पुलिंदा है।

ऐ मेरे वतन की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हें आतंकवादी घोषित कराने वाले आज भी यहाँ की सड़कों आदि के नामों में जिंदा हैं। ऐ मेरे वतन की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों, हमें दुख है तो इस बात का कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाने का सपना अब केवल सपनों में ही ज़िंदा है।

अनुराग अग्रवाल
सहायक निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

पुनर्चक्र

आज के तेज़ी से बदलते परिवेश में हमारी ज़रूरतें भी उतनी तेजी से बदल रही हैं। विज्ञापनों की चकाचौंध, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हमारी आवश्यकताएँ भी रोज़ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे माहौल में हम पुनर्चक्रण अर्थात् रीसाइक्लिंग का महत्त्व भूल गए हैं। पुनर्चक्रण ना करने के कारण अपने ही धन एवं संसाधनों को खो रहे हैं। पुनर्चक्रण का अर्थ है पुरानी वस्तुओं का नवीनीकरण। बेकार सामान को नया रूप देकर प्रयोग में लाना। कम संसाधनों में भी ज्यादा काम चला। इसे तीन भागो में बाँटा जा सकता हैं– उपयोग कम करे, दोबारा उपयोग करे तथा रीसाइक्लिंग करें।

पुनर्चक्रण हमारे लिए कोई नया फार्मूला नहीं है। पारंपरिक भारतीय शैली हमें प्रकृति के साथ सतत तालमेल बिठाकर रहना सिखाती हैं। जरूरत केवल इसके महत्त्व के प्रति जागरूक होने की है। जागरूकता ना होने के कारण हम प्राप्त सामग्री का पुनः उपयोग नहीं कर पाते। व्यर्थ समझकर वस्तुओं को कचरे में फेंक देते है। अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से पुरानी वस्तुओं को दुबारा उपयोग में लाए तब हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे बल्कि कुछ खर्च भी बचाएंगे। रीसाइक्लिंग द्वारा हमें धरती माँ की सेवा का सुंदर अवसर भी प्राप्त होगा। कचरा लैंडफिल में ना जाकर पुनः उपयोग होगा ।

कुछ नया खरीदने से पहले विचार करें। एक नज़र अपने चारों ओर डालें। सोचें कि किस प्रकार आस–पास मौजूद वस्तुओं के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं ? केवल दिखावा करने के लिए, विज्ञापनों में देख कर अनावश्यक ज़रूरतों को जन्म ना दे। यह अनावश्यक ज़रूरतें अपव्यय व संसाधनों की बर्बादी के दुष्चक्र का कारण है। उदाहरण –ई कचरा प्रबंधन आने वाली सदी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। विश्व भर में 500 करोड़ टन ई–कचरा केवल 2018 में उत्पन्न हुआ जिसमें से अधिकतर व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि हैं। हर तकनीकी अपग्रेड़ के लिए नया उपकरण खरीदना समाधान नहीं हैं। क्या हम ई–सामान, उपकरणों को रीसाइक्लि या रिपेयर नहीं करवा सकते ? पुनर्चक्रण के द्वारा ही हम अपव्यय के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं।

पुनः नवीनीकरण का यह जनांदोलन हमें स्वयं से ही शुरू करना होगा। ज्ञान बाँटने से पहले, खुद ही अपनाना होगा। रोजमर्रा कि दिनचर्या में, घर में व कार्यालय में पुनर्चक्रण को हम अपनी आदत बना सकते हैं। कार्यालयों में सबसे ज्यादा उपयोगी व सबसे ज्यादा बेकार होने वाली चीज़ कागज़ है।

एक कागज़ बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ता है। कागज बनाने की प्रक्रिया में कितनी जहरीली व ग्रीनहाउस गैस निकलती हैं। क्या हम कागज की खपत पर ध्यान नहीं दे सकते ? स्वर्णिम सिद्धांत का पालन करें। प्रिंट करने से पहले सोचें। कार्यालय में कागज़ का उपयोग कम करने का संकल्प लें। प्रारूप के अनुमोदन हेतु, घोषणाओं व महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए डिजीटल, ई–मेल व इंटरनेट का उपयोग करें। हमारी थोड़ी सी सावधानी कागज़ के क्षय को कम करने में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। कम खपत से एक ओर व्यय कम होगा, वही दूसरी ओर कम पेड़ कटने से प्रकृति की भी बड़ी रक्षा होगी। बाढ़ कम आएगी, मिट्टी का कटाव कम होगा, ग्लोबल वॉर्मिंग कम होगी, किसान की फसल अच्छी होगी और देश का विकास होगा। केवल कागज़ के पुनर्चक्रण से हम पर्यावरण की रक्षा में इतनी मदद कर सकेंगे। यह विचारणीय है कि अगर हम जल, बिजली, प्लास्टिक इत्यादि के पुनर्चक्रण के प्रति भी जागरूक हो जाएँ तो

पृथ्वी पर कितना उपकार करेंगे। अगर हम सब प्रतिबद्ध होकर संकल्प लें, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाए तो भविष्य में आने वाली बड़ी आपदा से बचा जा सकता है। सामूहिक प्रयास से बड़े सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

पुनर्चक्रण के लिए हमें कोई समय, जगह दिन इत्यादि निर्धारित नहीं करना हैं। हम जहाँ हैं शुरूआत वही से होगा। परिवर्तन केवल सोच में करना है। लक्ष्य निर्धारित करना है कि कोई वस्तु कचरे में डालने से पहले विचार करेंगे। स्वयं से कुछ प्रश्न करें। उस वस्तु का और क्या उपयोग किया जा सकता है क्या यह वस्तु किसी और व्यक्ति के प्रयोग आ सकती है।

क्या यह वस्तु फेंककर अमूल्य संसाधन बेकार हो रहे हैं ? आपस में विचार–विमर्श करके कंचन से कंचन बनाने का प्रयास करें । इस तरह एक वस्तु के उपयोग के नए–नए तरीके सामने आएंगे। केवल जन भागीदारी से ही बढ़ते कचरे का समाधान मुमकिन है।

अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय पुनर्चक्रण सप्ताह नवम्बर में मनाया जाता है। इसके द्वारा पुनर्चक्रण के प्रति अवगत कराया जाता हैं। मनन व तर्कसंगत विचार करके पुनर्चक्रण के रचनात्मक तरीके ढूंढ़े जाते है।

हिंदी में एक कहावत हैं – "अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा ?" वास्तव में यह सच्चाई नहीं हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति पुनर्चक्रण में अपना सक्रिय योगदान करेगा, तब वह अकेला व्यक्ति ही भाड़ फोड़ेगा। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करेगा और पुनर्चक्रण का चक्र चलने लगेगा।

गिन्नी चाँदना
प्रवर्तन अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी गोवा

प्रेरक प्रसंग

चार पत्नियाँ ...।

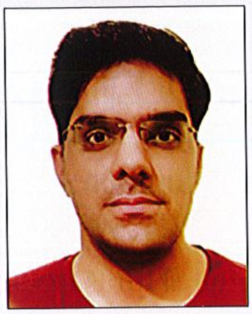

एक व्यक्ति की चार पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था और उसकी बहुत देखभाल करता और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देता था।

अपनी तीसरी पत्नी से भी उसे बहुत प्यार था और सदैव उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। हालाँकि, उसे हमेशा एक डर लगा रहता था कि वह किसी के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी के प्रति भी स्नेह की भावना रखता था। जब भी उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता या वह दुःखी होता, तो वह सदैव अपनी दूसरी की तरफ रुख करता। वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उसकी हमेशा अवहेलना ही करता ,हालांकि वह उससे बहुत प्यार करती थी, उसके प्रति बहुत वफादार थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी।

एक दिन वह आदमी बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि वह जल्द ही मरने वाला है।

उसने सोचा, "मेरे साथ मेरी चार पत्नियां हैं। मैं अपनी मृत्यु के समय अपने साथ के लिए उनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगा।"

इस प्रकार, उसने चौथी पत्नी को,जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था मृत्यु के समय अपने साथ मरने के लिए कहा।

" नहीं, बिल्कुल नहीं! " उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया।

निराश होकर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मृत्यु के समय क्या वह उसके साथ चलेगी? तीसरी पत्नी ने कहा "यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब आप मरेंगे तो मैं पुनर्विवाह करने जा रही हूँ"।

अत्यंत निराश हो उसने अपनी दूसरी पत्नी से भी वही प्रश्न पूछा। उसने कहा "आई एम सॉरी। मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा मैं केवल आपकी कब्र तक आपका साथ दे सकती हूं।"

अब उसका दिल डूब गया और वह बहुत दुःखी हुआ।

तभी एक आवाज़ आई–"मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे संग चलूँगी।" आदमी ने देखा कि यह उसकी पहली पत्नी थी।पहली बार उसने उसे बहुत ध्यान से देखा। वह बहुत दुर्बल और क्षीण थी, वह कुपोषण से पीड़ित थी। अश्रुपूर्ण आंखों से वह उसे अपलक निहारता रहा। वह उसके लिये कुछ करना चाहता था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी।

दरअसल, हम सभी के जीवन में चार पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं । इसकी देखभाल व रखरखाव के लिये हम अपने जीवन का अमूल्य समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूल बैठते हैं। हर समय हम जिस शरीर को सुंदर रखने का प्रयास करते रहते हैं,वह शरीर ही सर्वप्रथम हमारा साथ छोड़ता है।

तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है जिसे इकट्ठा करने में हम दिन–रात लगे रहते हैं और जिसे प्राप्त कर हम स्वयं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मान बैठते हैं। यहां तक कि हम मृत्यु को भी भूल जाते हैं।

दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्रजन हैं जिनपर जीवन भर हम अपना प्रेम,धन सब कुछ लुटा देते हैं और जिस परिवार की सेवा में हम अपना समस्त जीवन लगा देते हैं , वे भी मृत्यु के समय हमारे केवल शमशान तक के साथी हैं।

बचा क्या ! पहली पत्नी ! पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जिसे हम जीवनभर धन और आनंद की खोज में उपेक्षित करते हैं और अंत समय में हमारे हाथ क्या रह जाता है , हमारी क्षीण और कुपोषित आत्मा !

इसलिये मनुष्य को अपने इहलोक के कार्यकलापों के साथ सदकर्मों को करते रहना चाहिये और जीवन के परम लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिये।

पंकज गोयत,
प्रर्वतन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

जम्मू और कश्मीर

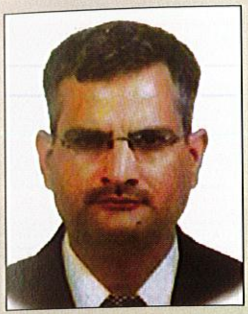

जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना 26 अक्तूबर 1947 में हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरिसिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। आजादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बचा हिस्सा भारतीय राज्य जम्मू–कश्मीर का अंग बना।

जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भारतीय जम्मू और कश्मीर के तीन मुख्य अंचल है : जम्मू (हिंदू बहुल), कश्मीर (मुस्लिम बहुल) और लद्दाख (बौद्ध बहुल)। जम्मू और कश्मीर की राजधानी ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां का तापमान वर्ष भर ठण्डा रहता है। कश्मीर का अधिकांश भाग चिनाब, झेलम तथा सिन्धु नदी की घाटियों में स्थित है। कश्मीर क्षेत्र की प्रधानता दो विशाल पर्वत श्रेणियाँ है। सुदूर उत्तर में काराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणियाँ है। जिनके मध्य सिंधु नदी की सँकरी घाटी समाविष्ट है। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी की घाटी में पड़ता है। पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा–सा उत्तरी भाग जम्मू–प्रांत में चला आया है। चिनाब घाटी में किश्तवाड़ तथा भद्रवाह के ऊँचे पठार एवं नीची पहाडियाँ (कंडी) और मैदानी भाग पड़ते हैं। सिंधु नदी की घाटी में जास्कर तथा रूपशू सहित लद्दाख क्षेत्र, बलिचिस्तान, अस्तोद एवं गिलगिल क्षेत्र पड़ते हैं।

राजतरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि प्राचीन बाल में कश्मीर एक बृहत् झील है जिसे ब्रह्मासुत मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने बारामूला के निकटवर्ती पहाड़ियों को काटकर प्रवाहित कर दिया। इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा तथा द्रादी कहलाते थे। खासा–जाति के नाम पर ही कश्मीर (खसमीर) का नामकरण हुआ है परीपंजाल तथा हिमालय को प्रमुख पर्वतश्रेणियों के मध्य स्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी नालों और सरोवरों के अतिरिक्त कई झीलें हैं। वुलर मीठे पानी की भारतवर्ष में विशालतम झील हैं। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियाँ इसी झील से प्राप्त होती है। स्वच्छ जल से परिपूर्ण डल झील तैराकी तथा नौकाविहार के लिए अत्यंत रमणीक है। कश्मीर अपनी अनुपम सुषमा के कारण नंदनवन कहलाता है। भारतीय कवियों ने सदा इसकी सुंदरता का बखान किया है।

कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है जो यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन है। मक्का, गेहूँ, जौ भी क्रमानुसार मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। अखरोट, बादाम, नाशपाती, सेब, केसर तथा मधु आदि का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। कश्मीर केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।

कश्मीर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल है जो बाबर के समय से ही चली आ रही है। कश्मीरी कालीन भी प्रसिद्ध औद्योगिक उत्पादन है। किन्तु आजकल रेशम उद्योग सर्वप्रमुख प्रगतिशील धंधा हो गया है। चाँदी का काम, लकड़ी की नक्काशी तथा पाव्ये–माशें यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं।

जम्मू कश्मीर में यूँ तो कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ जाने की चाहत हर आने वाले पर्यटक की होती पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम तथा पटनीटाप जाएं बिना शायद ही कोई रह पाता हो। इनमें से पहले तीन तो कश्मीर वादी में अलग–अलग दिशाओं में है तो चौथा पटनीटाप जम्मू संभाग में कश्मीर की ओर जाते हुए रास्ते में पड़ता है।

जम्मू – कश्मीर के पर्यटक स्थल –

- वैष्णो देवी मंदिर
- श्रीनगर
- लेह
- गुलमर्ग
- पहलगाम
- कटरा
- जम्मू
- इंदिरा गांधी मेमोरियल टयूलिप उद्यान

ललित शर्मा
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू

(c) Andre

अकबर के तीन प्रश्न

अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिये। प्रश्न ये थे :–

1) भगवान कहाँ रहते हैं?
2) वे कैसे मिलते हैं? और
3) वे क्या करते हैं?''

बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गये और बोले – ''जहाँपनाह! इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूँगा।''

जब बीरबल घर पहुँचे तो वह बहुत उदास थे।

उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया –

''बेटा! आज बादशाह ने मुझसे एक साथ तीन प्रश्न पूछे हैं?

1) भगवान कहाँ रहते हैं?
2) वे कैसे मिलते हैं? और
3) वे क्या करते हैं?

मुझे उनके उत्तर सूझ नही रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है।''

बीरबल के पुत्र ने कहा– ''पिता जी! कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूँगा।''

पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुँचे।

बीरबल को देख कर बादशाह अकबर ने कहा – ''बीरबल मेरे प्रश्नों के उत्तर दो।

बीरबल ने कहा – ''जहाँपनाह आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है।''

अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा – ''बताओ!

' भगवान कहाँ रहते हैं?'' बीरबल के पुत्र ने एक गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मँगवाया और कहा– जहाँपनाह दूध कैसा है?

अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा है।

परन्तु, बादशाह सलामत क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है?

बादशाह बोले नही। वह तो घुल गयी।

जी हाँ, जहाँपनाह! भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहते हैं।

जैसे शक्कर दूध में घुल गयी है परन्तु वह दिखाई नही दे रही है।

बादशाह ने सन्तुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा – ''बताओ!

भगवान कैसे मिलते हैं?'' बालक ने कहा –

''जहाँपनाह थोड़ा दही मँगवाइए।

'' बादशाह ने दही मँगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा –

''जहाँपनाह! क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है।

बादशाह ने कहा– ''मक्खन तो दही में है पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा।''

बालक ने कहा– ''जहाँपनाह! मन्थन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं।''

बादशाह ने सन्तुष्ट होकर अब अन्तिम प्रश्न का उत्तर पूछा – ''बताओ! भगवान करते क्या हैं?''

बीरबल के पुत्र ने कहा– ''महाराज! इसके लिए आपको मुझे अपना गुरू स्वीकार करना पड़ेगा।''

अकबर बोले– ''ठीक है, आप गुरू और मैं आप का शिष्य।''

अब बालक ने कहा– ''जहाँपनाह गुरू तो ऊँचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे।''

'' अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गये।

अब बालक ने सिंहासन पर बैठ कर कहा – ''महाराज! आपके अन्तिम प्रश्न का उत्तर तो यही है।''

अकबर बोले– ''क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं।''

बालक ने कहा– ''जहाँपनाह! भगवान यही तो करता है।

"पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा ।"

सुमन
प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

जंक फूड

हम सब 'ज़ंक' का हिंदी अर्थ जो कि 'कचरा' होता है, जानते हुए भी उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने में अपनी शान समझते हैं। इसे कचरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई पोषक तत्व यथा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन तथा लाभप्रद खनिज इत्यादि न के बराबर होते हैं। मात्र कार्बोहाइड्रेट तथा वसा होता है जो मैदा आदि जैसे खाद्य पदार्थो से बनता है और सुपाच्य नही होता। एक अन्य पद, HFSS, अर्थात, हाई इन फैट, साल्ट एंड सुगर भी ज़ंक फूड को संदर्भित करता है।

ऐसा नहीं है कि ज़ंक फूड केवल स्वादिष्ट है इसलिए इसका उपयोग बढ़ रहा है बल्कि भारतीय खाना (थाली) इससे कई गुना अधिक स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि अब यह आसानी से इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आर्डर पर उपलब्ध हो जाता है। वैसे तो मेरे विचार में घर के बाहर का खाना ही बीमारियों को बुलावा है, परन्तु यदि ज़ंक फूड ज्यादा खाते हैं तो हमसे बड़ा हमारा शत्रु और कोई नहीं हो सकता। पढ़े–लिखे समझदार लोग भी सब कुछ जानकर इस खाने को बड़े चाव से खाते हैं तथा उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिस पर अत्यधिक आश्चर्य होता है। हम वस्तुतः अपने बच्चों को ज़ंक फूड के नाम पर धीमा जहर (स्लो प्वॉइजन) दे रहे हैं।

एक और कारण भी है कि आज के समय में पति–पत्नी दोनों कामकाजी होने के कारण समय की कमी रहती है और घर पर किचन में समय नष्ट करने से बेहतर वे बाहर से खाना मंगवाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि कैरियर, धन, शानो–शौकत का जीवन जीने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि आपके पास स्वस्थ शरीर हो। पुराना कथन "स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई सुख नहीं" शाश्वत तथा सत्य हैं।

पश्चिमी देश ज़ंक फूड के कारण ओबेसिटी (मोटापा), डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय–रोग, किडनी, बच्चों में कैविटी आदि रोगों से बुरी तरह जूझ रहे हैं। भारत में इन समस्याओं ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। भारत में फ़ास्ट फूड उद्योग, जो ज़ंक फूड का का सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग 40% वार्षिक की दर से विकसित हो रहा है तथा प्रति व्यक्ति फ़ास्ट फूड पर व्यय के आधार पर भारत का विश्व में 30वां स्थान है तथा यह भारतीयों के कुल वार्षिक व्यय का 2.3% है। ये आंकड़े वाकई डराते हैं।

अतः हम सभी को समझदारी का परिचय देते हुए ज़ंक फूड को हमेशा के लिए 'ना' बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए।

भावना गुप्ता
प्रवर्तन अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

एक नवीन संस्कृति

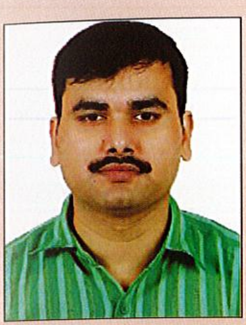

भारतवर्ष का इतिहास कई हज़ार वर्ष प्राचीन है। यहाँ वैदिक, हड़प्पा ,मुग़ल, ब्रिटिश आदि कालों में अपनी – अपनी विशेषताओं के साथ विभिन्न संस्कृतियां विद्यमान रहीं। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों पश्चात एक नवीन संस्कृति का अभ्युदय होना आरम्भ हुआ – 'रुदन एवं चिल्लपों संस्कृति'। इस संस्कृति की विशेषता समस्या का समुचित हल ना निकालकर उसे ज्यों का त्यों बनाये रखने की थी। उदारीकरण , निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में इस संस्कृति के विकास ने गति पकड़ी और व्यवस्था में अपनी पैठ बनाई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महती भूमिका निभाई और कालांतर में सोशल मीडिया भी इसमें सम्मिलित हो गया। इस संस्कृति में किसी घटना के घटित होने पर उसे मीडिया में कुछ समय के लिए उछाला जाता था और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था कि इस समय पूरे देश में इससे महत्त्वपूर्ण कोई अन्य विषय नहीं है। न्यूज़ चैनल्स उस विषय पर धारावाहिक की तर्ज़ पर प्रसारण करते थे और दिन में कई बार उसी विषय से संबंधित समाचार विभिन्न चैनलों पर चलाये जाते थे। सोशल मीडिया पर उस विषय से संबंधित चुटकुलों और कार्टून्स की बाढ़ आ जाती थी।

फिर कोई दूसरी घटना घटित होने पर पुनः न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर वही क्रम आरम्भ हो जाता था किन्तु पहले वाली घटना को सभी लोग यकायक भूल जाते थे। जैसे सूर्य के अस्त होने पर पृथ्वी पर उपस्थित सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पहले वाली घटना से संबंधित सभी समाचार / चुटकुले / कार्टून्स लुप्त हो जाते थे और वो समस्या/ मुद्दा अपनी जगह पर ही रह जाता था, उसका कोई समुचित समाधान नहीं निकल पाता था। फिर कुछ महीनों/ वर्षों बाद किसी कारण विशेष से कोई समस्या / मुद्दा पुनः प्रकाश में आता था तो फिर वही न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया का क्रम प्रारम्भ हो जाता था, परंतु समस्या / मुद्दा हल नहीं होता था। इस तरह विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं /घटनाओं पर बारी-बारी से रुदन और चिल्लपों करते रहने का यह क्रम अनवरत चलता रहता था।

आसमां में सुराख़ करने के लिए एक पत्थर तबियत से उछालने के बजाय आसमां लाल – पीले रंग का क्यों नहीं है, इस पर हो – हल्ला होता रहता था !!

आदित्य कुमार
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

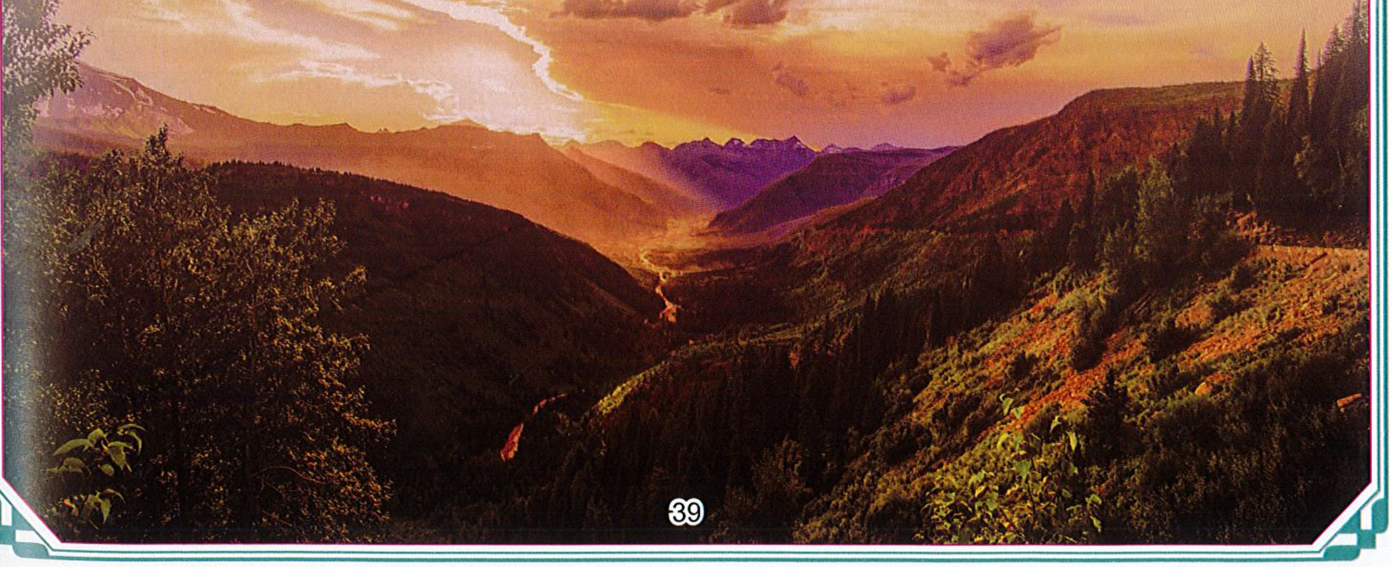

मंदिर श्री गोपीनाथ जी

अव्यय, निश्चल एवं निस्पन्द ब्रहम के रस में जब उनकी ही इच्छा से स्पन्द रूप बल का प्रादुर्भाव होता है तो उसी बल को शक्ति कहा जाता है। उस शक्ति के अनेक रूप और नाम हैं जो गिने नहीं जा सकते। इसलिए उस आद्य शक्ति को परा कहते हैं। परा के अनेक रूप ही श्रुतियां कहलाती हैं। भगवान की इच्छानुसार ही श्रुतियां व्यापकता के प्रतीक ब्रज में गोपियों के रूप में अवतारित हुईं। वे भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुईं। वस्तुतः शक्तिरूप विविध बलों का रस रूप परब्रहम की और उन्मुख होना ही रास का रहस्य है। वे ब्रहम से अभिन्न होती हुई भी विश्व रूप में जड़ भाव ग्रहण कर लेती हैं। **इस जड़ता में पुनः रस उत्पन्न करने का नाम ही रास है।**

भगवान के आदेश से यमुना पृथ्वी पर अवतरित हुई और देवता गोपरूप से यहाँ आ गये। जब सब मंडाण मंड गये तो स्वयं परमात्मा भी देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए वासुदेवजी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। नन्द गोप के घर पर पोषित हुए। उन्होंने बाल लीला, गोचारण, गोवर्धनोद्वारण आदि लीलाएं करते हुए वंशीवादन से नादब्रहम द्वारा विश्व का रसाप्लवन और रास रचना द्वारा सबको रस विभोर करते हुए कष्टमुक्त किया। नित्यलीला करते हुए नित्य लीलाधाम भगवान ने अपने गोलोक में नित्य घटित होने वाली लीलाओं से परिचय इस लोक को भी कराया। इनके माध्यम से ही ब्रहम ने अव्यय, आद्य, अनन्त, मन और वाणी से अगम्य परब्रहम को गोप बालक नाट्यवेशधारी, हाथ में माखन रोटी लिए हुए गायों और बछड़ों को ढूँढ़ते हुए श्रीकृष्ण के रूप में पहचाना था।

परमात्मा के ऐसे स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए मनुष्य ने विविध मूर्तियों का निर्माण कर उनका आश्रय लिया। इनकी स्थापना से असत् से सत् को पहचानने का प्रयास किया गया। ऐसी मूर्तियों में ही भगवान की समस्त विभूतियों का आविर्भाव हो जाता है जिनके प्रत्येक रोम कूप में अनन्त ब्रहमाण्ड समाये हुए हैं। भक्त उन भगवान के दर्शन करते हैं।

जयपुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पूरे जयपुर में पुरानी बस्ती अपना विशिष्ट स्थान रखती है। पुरानी बस्ती जयपुर का सबसे पुराना क्षेत्र है। पुरानी बस्ती विद्वानों, पहलवानों, लड़ाकों, विभिन्न कलाओं के जानकार लोगों को क्षेत्र है। पुरानी बस्ती के नामी पहलवान उस्ताद हरी जेठी जी का निशान तीज व गणगौर के मेले में सबसे आगे हाथी के ऊपर रख कर निकाला जाता था। गुण का सम्मान, व्यायाम के प्रति गहरी रूचि उस पुराने जयपुर की परम्परा रही है।

जयपुर वैष्णव सम्प्रदाय की प्रधान पीठ है। पहले जयपुर राजघराना शैव मतावलम्बी था। गलता तीर्थ के महान वैष्णव सन्त पयोहरी श्री कृष्ण दास जी की कृपा से जयपुर राजघराना वैष्णव मतावलम्बी हो गया है। कहते हैं श्री कृष्ण दास जी ने पूरे जीवन काल में अन्न ग्रहण नहीं किया था। पूरे जीवन दुग्ध पान ही किया था। इसलिए उनका नाम पयोहारी पड़ा था। आप्य भक्तमाल की रचना श्री नाभादास ने गलता के गोपाल कुण्ड, ज़नाना कुण्ड के समीप एक तिबारी में बैठकर की थी। महान सन्त मीरा बाई भी गलता तीर्थ में आ कर गई है। श्री गोविन्द गाथा में वर्णन है कि आमेर के राज भारमल ने भी अन्तिम दिनों में मथुरा को ही अपना निवास स्थान बना लिया था और वह जनवरी 1574ई. में विश्राम घाट पर उन्होंने अन्तिम सांस ली। उनकी रानी वहां सती हुई। विश्राम घाट पर सती बुर्ज़ आज भी इस घटना का स्मारक बन कर खड़ा हुआ है।

प्रतिमा पूजन के माध्यम से अपने अभीष्ट की सन्निधि प्राप्त करने की विधि पुरा काल से ही चली आ रही है। **मान्यता है कि करौली के श्री मदन मोहन जी, जयपुर के श्री गोपीनाथ जी और गोविन्द देव जी के एक सूर्य में दर्शन करने से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होना माना जाता है।** गौडिय वैष्णवों के अनुसार **गोविन्द गोपीनाथ–मदनमोहन** कहा जाता है। लेकिन मदन मोहन जी पहले विग्रह है जिनके दर्शन करने के बाद ही गोपीनाथ जी और श्री गोविन्द देव जी के दर्शन करने का माहात्म्य है। श्री मदन मोहन जी करौली राजमहल के प्रांगण में ही विराज़मान है। श्री विग्रहों के बारे में विभिन्न ग्रन्थों में वर्णन है कि **श्री कृष्ण गो–लोक जाने के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने उनकी प्रतिमाओं का निर्माण शिल्पियों से करवाया उस समय वज्रनाभ की दादी श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न की पत्नी जीवित थी। जब उन्होंने पहली मूर्ति देखी तो कहा येह श्री कृष्ण के चरण हैं। फिर दूसरी मूर्ति बनवाई गई इस मूर्ति को देख कर उन्होंने कहा यह तो श्री कृष्ण का कटि प्रदेश है। तीसरी मूर्ति बनवाई गई इस मूर्ति को देख कर उन्होंने लज्जा के घूंघट निकाल लिया। क्योंकि वह श्री कृष्ण का मुख मंडल है, ग्रीवा, कटि एवं चरण की मरोड से युक्त ओंकाराकृति त्रिभंगस्वरूप यह विग्रह सक्षात भगवान कृष्ण की छवि प्रस्तुत करने वाला है। और वही प्रतिमा श्री गोविन्ददेव के रूप के रूप में स्वीकार की गई। आतंकियों के उपद्रवों से आशंकित श्रद्धालुओं ने अनेक मूर्तियों को भूमिसात कर दिया था। वह वर्णन गौडीय वैष्णव भक्ति रत्नांकर के संकलनकर्ता श्री नरहरि चक्रवर्ती ने भी प्रतिपादित किया है। श्री गोविन्द गाथा में पूज्य श्री नन्द किशोर पारिक जी ने भी बहुत श्रम व अन्वेषण से इस मान्यता दी है।**

पहली मूर्ति मदन मोहन जी की है करौली जो जयपुर से लगभग 160–70 किलोमीटर है। दूसरी मूर्ति गोपीनाथ जी जयपुर में पुरानी बस्ती में है। और तीसरी मूर्ति जयपुर के श्री गोविंद देव जी की है।

श्री गोविन्द देव जी के बाद श्री गोपीनाथ जी का विग्रह अत्यंत पावन और पूज्य और यह भी वृन्दावन से जयपुर आया है। वृन्दावन में यह विग्रह मधु पण्डित द्वारा प्रतिष्ठापित हुआ था जो मदन मोहन के प्रतिष्ठापक सनातन गोस्वामी और गोविन्द के प्रकाटय कर्ता श्री रूप गोस्वामी के समकालीन

थे, जयपुर की अढाई शती के उपलक्ष्य में प्रकाशित श्री राधा गोपीनाथजी महाराज की परिचय में श्री रामनारायण चतुर्वेदी का यह कथन भी अन्वेषणीय है कि विक्रम संवत 1559 में श्री मधु पण्डित महप्रभु की आज्ञानुसार बंगाल से वृन्दावन आये थे। कहते है मधु पंडित को भी रूप गोस्वामी की तरह स्वप्नादेश हुआ था कि यह विग्रह वंशीवट के नीचे यमुना की रेती में लुप्त है, उसे निकाला जाये और पूजा का मंडान बाधा जाये। फिर ब्रजवासियों के नाम संकीर्तन के बीच राधा गोपीनाथ को भूमि से निकाला गया। यह माघ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1560 की बात बताई जाती है। कहते हैं लगभग 41 वर्षो तक गोपीनाथ की सेवा पूजा कुटिया में ही होती रही। फिर वृन्दावन में इस विग्रह के लिये मन्दिर का निर्माण हुआ जो विशेष बड़ा नहीं था। वृन्दावन में यह मन्दिर आज विद्‌यमान है। इस मन्दिर का निर्माण श्री रायसल शेखावत, अकबरी दरबार के विख्यात राजा रासल दरबारी ने बनवाया। रायसल दरबारी का नाम आइन ए अकबरी में 1250 सवारों ने मनसबदारों में दिया है। यह पद गदीनशीन राजाओं के पुत्रों को दिया जाता था। रायसल की राजधानी खंडेला, राजस्थान है। जहां आज भी जय गोपीनाथ जी बोला जाता है।

'वृन्दावन थे के जयपुर' के लेखक श्री ए. के.राज ने गोपीनाथ जी के जयपुर आगमन के संबंध में जयपुर रियासत के महकमा पुण्य के पुराने दस्तावेज के आधार पर संवत 1832 में इस विग्रह का जयपुर आना लिखा है। शहर में प्रवेश करने के पूर्व श्री गोपीनाथ उत्तर पश्चिम में स्थित झोटावाडा गांव में आकर विराजे थें, जिससे अनुमान होता है कि श्री गोपीनाथ जी के भक्त शोखावत राजपूत सरदार कामां से अलवर और शेखावाटी–तोरावाटी होकर इस विग्रह को लाये होगें, जयपुर आगमन के पश्चात गोपीनाथ जी का विग्रह 17 वर्षों तक माधो विलास, जोरवार सिंह गेट, जयपुर में ही विराजामन रहे। वर्तमान मन्दिर उस समय जयपुर रियासत के दीवान राजा खुशाली राम बोहरा ही हवेली है। दीवान बोहरा ने अपने निज निवास को ही ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दिया।

श्री गोविन्द देव जी के अनुसार सात झांकियों की व्यवस्था है। लेकिन दो झांकियां श्री गोपीनाथ जी में अधिक होती हैं। मदिर प्रांगण में **श्री मधु पण्डित जी का दर्शनीय तुलसी के मनकों का पूरा कोट रखा हुआ है बहुत दर्शनीय है। गोपीनाथ जी के साथ दो राधा जी हैं। जहां गोविन्द हैं वही वृंदावन हैं रसिक शिरोर्माण श्री हरिदा जी महाराज के लिए केलिमाल में लिखा** है – कूची नित्य विहार की श्री हरिदास हाथ

सेवत साधक, सिद्‌ध सब, जांचत नरवत, माथ।

विजय आचार्य
अधीक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

देश के विकास में हिंदी का महत्त्व

हिंदी सदियों से जन–जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम बनके रही है। देश की भौगोलिक विषमताओं के प्राकृतिक विरोध के मध्य हिंदी ने एक उत्कृष्ट कोटि की जन संयोजन करने वाली भाषा के रूप में अपने आपको आकर्षण का केंद्र बनाकर रखा है। एक देश या स्थान की भाषा का एक अपना विराट एवं अद्भुत महत्त्व होता है। यह ना सिर्फ ऐसे शब्दों से अंगीकृत रहती है जिसमें उस स्थान या देश की संस्कृति संयोजित रहती है, अपितु पूर्वजों के दशकों एवं सदियों की मेहनत की पराकाष्ठा को उपहार स्वरूप नई पीढ़ी को भेंट भी करती है। आज हम अगर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्वान्वित महसूस करते हैं तो उसमें सैकड़ों बोली रूपी नदियों के समागम महासागर रूपी हिंदी भाषा के अभिप्राय को ना समझना बेईमानी होगी।

भाषा की उत्कृष्टता की कोई लड़ाई नहीं होती। भाषा स्वयं से परिपक्व होते रहने वाली एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। स्पष्टत : देश के विकास में भाषा बड़ा योगदान है।

हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। यह गुलामी सिर्फ देशवासियों तक सीमित ना रहकर के यहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति और रहन–सहन पर भी रही। अंग्रेजों की शासन–व्यवस्था का अंग्रेजीकरण और उनकी उत्कृष्टता का छलावा आज भी हमारा देश इस दंश को झेल रहा है। हिंदी भाषा आज भी उससे उबर नहीं पायी है और यह देश का दुर्भाग्य ही है कि शासन प्रणाली में हम अब भी उसी अंग्रेजी का बोझ झेल रहे हैं।

इसमें किसी तार्किकता की आवश्यकता नहीं कि लोकतंत्र की परिभाषा स्वयं में अधूरी बनी रहेगी, जब तक प्रशासनिक कार्य लोगों की भाषा में न किए जाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी अपना साख वैसे ही गवां चुकी है और इसकी जिम्मेदारी का बोझ उन सबको सहना होगा जो अपनी ज्ञान को एक भाषा का रूप दे देते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को ज्ञानियों की ऐसी श्रेणी में रखने की आवश्यकता थी जो विश्व व्यापार या बहुपक्षीय वार्ता में अनुवादक बन सकें। उन्हें यह कटु सत्य का आभास कराना भी आवश्यक था कि वह सिर्फ़ अंग्रेज़ीयत के शिकार हो रहे हैं।

आज जब हम अपने चारों तरफ अंग्रेज़ी की परत चढ़वाने के लिये लोगों की व्याकुलता को महसूस करते हैं तो यह हमारे भीतर के गुणों की उत्कृष्टता पर अकारण संदेह पैदा करती है।

क्या इस देश के गांवों में निवास कर रहे 70 प्रतिशत लोगों को अधिकार नहीं कि वे देश के विकास में भागीदार और हिस्सेदार ठीक वैसे रहें जैसे बड़े–बड़े शहरों में रहने वाले कुछ 20–30 प्रतिशत लोग। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत अंग्रेज़ीकरण गांवों में निवास कर रहे लोगों के एक बड़े समूह को कम से कम एक पीढ़ी पीछे छोड़ देगी। क्या भाषा के आधार पर राजनीति का दौर नहीं चलेगा जिसमें उन्हें नौकरियों और अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रलोभन दिया जाएगा। क्या हमें यह समझने की ज़रुरत नहीं है कि जातिवाद के जिस ज़हर ने करीब 50 फीसदी आबादी को सामाजिक और आर्थिक रुप से पीछे छोड़ा था उसे हम आज आजादी के करीब 70 साल बाद भी पार नहीं पा सके हैं। क्या सरकार के पास इतने संस्थान हैं कि वे एक साथ देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी में उसी प्रकार शिक्षा दे पाएं जैसा कि बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं।

निष्कर्ष यह है कि हमें अंग्रेजी की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिह्न लगाना पड़ेगा और हिंदी को उत्कृष्ट कर उसे भारत के लिये श्रेष्ठ भाषा बनाया जाए। हिंदी को संस्थानों और विभागों की भी औपचारिक भाषा बनाये जाने पर ज़ोर देना होगा।

अजीत कुमार
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

जुआरी

आज सुबह जब रामलाल फावड़ा और कुदाली लेकर निकला उसका बदन पोर–पोर टूट रहा था। आँखें थकी–थकी निढाल हो रही थीं। कल ज्यादा काम हो गया था। दिन–भर कुदाली चलाई थी। बीज बोना था। सबके खेतों में बीज लग गए थे। रामलाल का रह गया था। आज वो भी कर ही लेगा। घरवाली बोली थी कि आज घर पर ही आराम कर लो। एक दिन देर होने से कोई पहाड़ नहीं टूटा जा रहा। कल चले जाना। लेकिन रामलाल उठा था। कल की थकान और रात को चले पछुआ पवन ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। उसने फिर भी हिम्मत करके कुदाली और बीज लिया और चल दिया खेत की तरफ। खेत भी क्या था एक छोटा–सा जमीन का टुकड़ा। बाप–दादाओं के निक्कमेपन में सारी जमीन जाती रही थी। बाप ने दो–दो शादी की थी। दूसरी बीवी के बारे में खबर फैली थी कि श्यामलाल शहर से खरीद लाया है। एक रात वो सारा रूपया पैसा ले उड़ी थी। सारे गाँव में थू–थू हो गई थी। श्यामलाल पर कर्ज़ का पहाड़ पहले से था और उस पर जो बची–कुची जमा पूंजी थी वो भी न रही। उसे कोई चारा नज़र नहीं आया। अगले ही दिन चौराहे के पास वाले कुएं से श्यामलाल की लाश मिली थी। गाँव में चर्चा थी कि बेचारे से बदनामी सही नहीं गई। खुदखुशी कर ली। पीछे छोड़ गया अपनी गाय–सी पहली बीवी और चार साल का बेटा रामलाल। बिना बाप के रामलाल अनाथ–सा हो गया था। उसकी माँ ने उसे जैसे–तैसे बड़ा किया और काम करने लायक बनाया। 12 साल से ही खेत में काम लगने लगा था रामलाल। उसके बाद उसने एक इंच जमीन भी जाने नहीं दी। अब जब इतने दिन निकल गए तो एक दिन की थकान उसे कैसे रोकेगी। वो उठा था और चल दिया था।

खेत के किनारे से पगडण्डी गाँव की तरफ जाती थी और दूसरी तरफ पगडण्डी दो कोस दूर जाके बड़ी सड़क से मिलती थी जो शहर को जाती थी। गाँव की तरफ जाने वाली पगडण्डी से लगा एक बड़ा बरगद का पेड़ था और दो चार शीशम के पेड़ थे। आस–पास के खेत में काम करने वाले सभी किसान और दिहाड़ी मजदूर जब थक के निहाल हो जाते थे तो उसी बरगद की छाँव में बैठ के सुस्ता लिया करते थे। दोपहर की रोटी भी सब वही खाते थे। गाँव घर की दो चार बातें भी हो जाया करती थीं। खाना–पीना होने के बाद सुखिया अपनी तान छेड़ता –

"गयलेकोन देश हो रामा
गुजरल जायी इ बरसन भी
ना जानी कब तोहरा होई आना
गयले कोन देश हो रामा"

गाते–गाते वो शून्य की तरफ देखने लगता तो चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ़ नजर आने लगते। जब उसकी घरवाली जोगिया मल्लाह के साथ भागी थी। पूरे गाँव में ये खबर आग की तरह फ़ैल गयी थी। तरह–तरह की बातें होती थीं। कोई कहता सुखिया की आँखों में घरवाली के लिए पानी नहीं था। रोज रात को दारू पी के मारपीट करता था। उसके पड़ोस में रहने वाला जोगिया कई बार बीच बचाव करने आ जाया करता था। बात यहीं से शुरू हुई थी। कोई कहता कि उसकी चाल–ढाल शुरू से ही सही नहीं थे। कोई ऐसे अपना घर छोड़ के भागता है क्या? कोई दूसरा थोड़े न था अपना मर्द ही तो मारता था। इस घटना के बाद से ही सुखिया किसी से बात नहीं करता था। न हँसता था न रोता था। कुछ सोचते रहता था। शायद वों कभी लौट आये तो जी भर के रोये।

रामलाल ने अपनी कुदाली वही रखी और घर

से लाया हुआ भींगा चना खाने लगा। सूरज आकाश में चढ़ने लगा था। धूप धीरे–धीरे अपनी गर्मी बढ़ा रहा था। ऐसे में बरगद का पेड़ बड़ी राहत देता था। रामलाल के खेत में लगा हरिराम का खेत था और उसके दूसरी तरफ आम का एक बग़ीचा था। ये बग़ीचा भजनु पहलवान का था। रामलाल को वहां एक आम के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। भजनु का लड़का मंगनू था।

"रामराम भाई" हरिराम बरगद की छाँव में बैठते हुए बोला, उसने भी अभी तक बीज नहीं लगाई थी और वो अबकी लगाएगा भी नहीं। वो बोलता था इस बार शहर जाएगा। वहीं कुछ काम धंधा करेगा। पिछले बार की सारी मेहनत बेकार हुई थी। बीज में भी कर्ज में लिया था। अभी तक नहीं उतरा। मौसम को कौन देखता है। आज बीच लगाया कल ओले गिरे। कौन जानता है? वो तो शहर जाने का सोच चुका है। पिछले महीने ही धन्ना शहर से लौटा है। उसकी ठाट देखते ही बनती है। लोग कहते हैं, धन्ना बोरी में भर के पैसा लाया है। हरिराम भी अब शहर जाएगा। दुःख के बादल छटने ही वाले हैं।

"दिन भर इनका जुआ चलता है यहाँ। गाँव के बाकी लड़के भी इनकी संगत में बिगड़ रहे हैं। बाप दादा की जागीर पे अय्याशी चलती है इनकी। पक्का दारूबाज और जुआरी है साला। पर अपना क्या। कुछ भी करे। " हरिराम उनकी और घृणा से देखते हुए बोला।

भजनु पहलवान का बेटा मंगनू अपने यार दोस्तों के साथ बैठा बगीचे में जुआ खेल रहा था। गाँव में कोई भी उसके सामने सर उठाके बोलने का साहस नहीं करता था। इसका कारण उसका बाप भजनु था। भजनु के जवानी के दिनों के किस्से आस–पास के दस गाँव में मशहूर थे। जवानी गई थी लेकिन अकड़ वही थी अभी भी। गाँव के लोग खौफ खाते थे। जब उस पर करमु नाई को अधमरा करके पीटने का मुकदमा चला था और दरोगा उसे पकड़ने गाँव आया था तो कैसे उसने मूंछ पर ताव देते हुए जाने के इनकार कर दिया था और दरोगा के सामने सीना तान के खड़ा था। पूरा गाँव उमड़ पड़ा था उस दिन। गाँव में सालों बाद पुलिस आई थी। अब तो भजनु जेल में पत्थर तोड़ेगा। सभी करमु नाई के साथ हुए अन्याय से दुःखी थी और मन ही मन भजनु को जेल जाते देखना चाहते थे लेकिन कोई बोलता नहीं था। सब दबी–दबी निगाहों में बात करते थे। सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी।

"ये भी सही है! अपना क्या कुछ भी करे!" रामलाल बीड़ी सुलगाते हुए बोला, "तुम अपनी क्या सोचे हो हरी ? शहर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने तो सुना है कारखानों में छटनी चल रही है। महीनों पगार नहीं मिलती और फिर रहने खाने की दिक्कत अलग", रामलाल बात आगे बढ़ाते हुए बोला।

"किस्मत!" रामलाल बुदबुदाया। उसकी नज़र मंगनुआ और उसके दोस्तों पर गयी। एक हाथ में ताड़ी की बोतल और दूसरे में ताश के पत्ते। सब खेल में डूबे हुए। किसके हाथ में कौन से पत्ते हैं पत्ते पकड़ने वाले को छोड़कर दूसरा नहीं जानता। और जब तक पत्ते हाथ में ना आए तब तक तो उसे भी नहीं पता की कौन से पत्ते आनेवाले हैं। बाजी बनेगी या बिगड़ेगी। कोई नहीं जानता। मंगनुआ भी नहीं। कहने को तो वो भजनु पहलवान का बेटा है लेकिन इस खेल में क्या होनेवाला है उसे भी नहीं पता । गाँव का बादशाह भी यहाँ इक्का के बिना अधूरा है ।

रामलाल की सोच को हरिराम ने तोड़ा, "भाई रामलाल.. चलता हूँ। शाम में मंदिर पर मिलते हैं।" कहते हुए हरिराम गाँव की तरफ चल दिया।

रामलाल भी उठा। अब कुछ काम कर ले। लेकिन उसका मन खिन्न हो गया था। अजीब उधेड़बुन में फँस गया था वह। एक तरफ हरिराम जो सब कुछ छोड़ कर शहर जा रहा था और दूसरी तरफ रामलाल खुद को देखता था जो अपनी जमीन, अपने घर, अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता। अपनों से दूर पराये देश जाके किस्मत आजमाना रामलाल को कही से भी जंची नहीं। फिर तो उसकी खेती ही अच्छी है। रोज रात को घर में स्नेह में डूबी हुई रोटी तो मिलती है। जब मुन्ना–मुन्नी दौड़ते हुए उसकी गोद में चढ़ जाते हैं

तो वो खुद को किसी बादशाह से कम नहीं समझता। शहर में ये अपनापन कहाँ ! ये प्रेम और संतुष्टि कहाँ ! रामलाल अपने आप को समझते हुए काम में लग गया। बीच का एक–एक पौधा उसने ऐसे लगाया जैसे अपने संतान को खाना खिला रहा हो। हर पौधे के साथ रामलाल आत्मसंतुष्टि के सागर में डूबा जा रहा था। हर पौधे का अंग–अंग, उनका स्पर्श उसे रोमांचित कर रहा था। रामलाल ने बड़ी तन्मयता से दिन भर पौधा लगाया। शाम होते होते उसका खेत नन्हें कोमल पौधों से सज चुका था। रामलाल खेत के किनारे बैठकर उन्हें देर तक निहारता रहा। उसे अपना भविष्य दिख रहा था।

रामलाल घर आया तो उसे पैरों में जकड़न महसूस हुई। हाथों से कुदाली और फावड़े छूट गए। तेज पुरबैया हवा चल रही थी। हवा में शीतलता घुली हुई थी। रामलाल का बदन उन ठंडी हवाओं के झोंके में सिहर रहा था। ठंड के कारण उसने वही ओसगानी पर रखे चादर को अपने बदन पे डाल लिया। घरवाली ने माथे पर हाथ रखा तो घबड़ा कर बोली," आपको तो तेज़ बुखार है। चलो लेट जाओ। दूध की पट्टी लगानी होगी।"

रामलाल वही ओसारे में खाट पर लेट गया। उसका मन अभी भी अपने छोटे से सजे हुए खेत में अटका हुआ था। वह खामोश था। उसने आँखें बंद कर ली। घरवाली थोड़ी देर में दूध की पट्टी लगा गई। खाने को बोलती लेकिन उसे आराम करते देख कुछ न बोली। शाम थोड़ी और गहरी हुई। शाम के साथ ही मेघ भी गहरे काले होते गए। तेज़ हवा के झोंकों में सने हुए पानी के फुहारों ने रामलाल की आँखें खोल दी। निढाल आँखों से उसे आकाश में बवंडर उठते दिखाई दिए। बादलों का शोर मचा हुआ था। उसकी आँखें फैलती गयी। बारिश की छोटी–छोटी बूँदें गिरने लगी थीं। उन बूंदों के साथ छोटे–छोटे बर्फ के टुकड़े, राय के दाने जैसे.. हे भगवान! रामलाल काँप उठा। अनहोनी की आशंका से वो घबरा उठा। बर्फ के छोटे टुकड़े बड़े होते जा रहे थे। उसे लगा कि वो दौड़ के जाए और उन नन्हें पौधों को अपने बदन से ढक दे। ये ओले उसके शरीर को छलनी कर दें लेकिन वो अपने खेत को कुछ नहीं होने देगा। रामलाल खाट से उठना चाहा, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। रामलाल ने आँखें बंद कर ली। वह अचेतनावस्था में था। आँखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। उसकी बीवी और माँ आई और उसे खाट सहित उठा के घर के अंदर ले गई। उसकी बीवी रोती छाती पीटती रही लेकिन रामलाल कुछ सुन न पाया। उसका शरीर यहाँ था लेकिन उसकी आत्मा अपने खेत में उसकी बर्बादी देख रही थी। उन नन्हें छोटे पौधों पर गिरते हर ओले के साथ उसका बदन छलनी होता जा रहा था। वह दर्द से कराहने लगा। घरवाली ने उसे कम्बल ओढ़ा दिया और उसके तलवे रगड़ने लगी लेकिन पैरों की ठंढक नहीं जा रही थी। रामलाल बेचैन हो रहा था। उसे लगा जैसे ओसारे में कोई आया है। उसने आँखें खोलनी चाहीं। अधखुली आँखों से उसने देखा बरामदे में मंगनुआ खड़ा है। वह धीरे से रामलाल के सिरहाने के पास आया। बाहर तेज बारिश और ओले गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। हाय ! उन पौधों का मार डाला। अब कुछ बांकी नहीं रहा। सब खत्म हो गया। उसे लगा जैसे मंगनुआ उसकी बर्बादी पर हंस रहा हो। उसका मन तिरस्कार और घृणा से भर उठा। सीने में जोर का दर्द हो रहा था। उसने देखा मंगनुआ जा रहा है। जाते हुए वो दरवाजे के पास रूका और वापस रामलाल की और मुड़ते हुए बोला, " मैं और तुम दोनों जुआरी हैं चाचा। फर्क बस यही है कि मैं मज़े के लिए खेलता हूँ और तुम जीने के लिए। मेरे खेल में दांव पर ज्यादा कुछ नहीं रहता है लेकिन तुम...... तुम अपनी जिन्दगी दांव पर लगाते हो और इस खेल में तुम हार चुके हो!"

रामलाल का हृदय धक से रह गया। उसकी आँख फिर न खुली।

मनीष कुमार झा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

मैं घर छोड़ चला आया

कुछ छोटे–छोटे कदमों पर चलता मैं इस सफ़र में यूँ निकल आया। घर का आँगन, भाई से भेद, माँ की रसोई से मैं आज मुँह मोड़ आया, विनवान चक्र में अपनी जगह ढूँढ़ने, मैं इस सफर में यूँ निकल आया, कुछ नया ये मौसम, कुछ नई सी भाषा, कुछ नए लोगों के बीच खुद को पाया, कुछ धूप को छुपा देने वाली बदली, वो हर शाम की महफिल मेरी गली, कुछ बचपन के यार, चुभा देने वाली गर्मी–ठंडी, कुछ गाने मेरे यारों के तो कुछ गाँव की नहरों को छोड़ मैं समंदर किनारे चला आया, कभी घंटों दफ्तरों में वरिष्ठों के अनुसार आचार–व्यवहार, कभी सूनी शामों को जैसे काटने दौड़ते थे मेरे विचार, दीवारों भी लगी सताने, लगता जैसे उजड़ ही गया मेरा संसार। क्या दो कौर की तलाश में बर्बर जीवन का यही है सार ? मेरे भीतर का अंतर्मन अवसादी बन करता रहता था, रूक यही एक सवाल कैसे सुखमय था इतना मेरा जीवन ? कैसे चिंतामुक्त मेरा मन? उस निर्मम दुर्गम जीवन चक्र का कौन था मेरा वो ढाल ? एक शाम जैसे कौंधा मन रह गया सन्न, उमड़ आयी वो यादें, जैसे बचपन में ठंड का बुखार, वो सारी खुशियाँ जो मैं जी आया, वो पी गया सारी चिंताएँ जैसे शिव का विष पान, एक ओर वो नौकरी की ज़िल्लते, मेरी ज़िद, घर की ज़रूरतें और दूसरी ओर उनकी खुशी, सिर्फ नि:स्वार्थ त्याग जब अपना खुद कमा खाया समझ आया मुझे अपना ढाप।

कुलदीप नारनौलिया
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापत्तनम

प्रवर्तन निदेशालय

किसी देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे ज़रूरी अवयव है "राजस्व"। राजस्व देश की रीढ़ की हड्डी और अर्थव्यवस्था का आधार होता हैं। इसलिए सरकारें राजस्व प्राप्ति के श्रोतों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। राजस्व प्राप्ति का स्रोत उत्पादन होता हैं और ये किसी भी रूप में हो सकता है जैसे– वस्तु का उत्पादन, संपत्ति का उत्पादन या पूंजी का उत्पादन और सेवाओं का आदान–प्रदान। देश की सरकारें राजस्व बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए समय–समय पर व्यवसायों से संबंधित नियमों एवं क़ानूनों को संशोधित कर सरल बनाया जाता हैं ताकि उत्पादन के क्षेत्रों में लोगों को हो रही परेशानियों से निज़ात मिल सके। परिणाम स्वरूप राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है। परन्तु कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन सरलताओं का फायदा उठाकर, जनता को झांसा देकर, ठगी करके या अन्य तरीकों से आपराधिक कृत्यों से उत्पादन (Proceeds of Crime) करते हैं और लाखों करोडों की संपत्ति अर्जित कर जनता या सरकारी पैसों का दुरूपयोग करते हैं। यह पैसा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। अतः सरकार ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्ति को कानूनी बनाने के लिए अनेक एजेंसियों/विभागों/निदेशालयों का गठन करती है। प्रवर्तन निदेशालय इनमें से एक उत्कृष्ट निकाय है।

प्रवर्तन निदेशालय का मूल कार्य धनशोधन को रोकना एवं विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रबंधन करना है। बहुतायत देखने में आता है कि कई चिट फंड कंपनियाँ भारी भरकम रिटर्न का दावा करके पब्लिक से पैसे जमा करवाती हैं तथा पैसा रिटर्न करने की बजाय उसे अपनी संपत्ति के रूप में उपभोग करती हैं। निदेशालय ऐसे मामलों की जांच करने के उपरांत आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति या उसके समान कीमत की संपत्ति को कंपनियों से जब्त करता है और ठगी गई जनता को उसकी पूंजी उचित अनुपात में लौटाना सुनिश्चित करता है। सरकार उद्योगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कुशल संचालन के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा हेतु बैकों को उचित दिशा–निर्देश देती है। परन्तु कुछ फर्जी कंपनियाँ उद्योग चलाने के नाम पर ऋण लेती हैं और उस पूंजी को व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर लेती हैं जिससे लोन चुकाना असंभव हो जाता है। कुछ समय बाद यह लोन गैर भुगतान खाता (NPA) में बदल जाता है और बैंकों पर बोझ बन जाता है। निदेशालय ऐसे प्रक्रमों की जांच कर जनता के पैसे को सरकारी खाते में पहुंचाने का कार्य करता है जिससे इस पैसे से बैंक की क्षति–पूर्ति की जा सके और बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। परिणाम स्वरूप बैंक अन्य ज़रूरतमंद लोगों को ऋण दे पाते हैं।

इसके अलावा जो लोग देश में उत्पादित हुई संपत्ति का उपयोग किसी अन्य देश में निवेश करने में करते हैं या कर चोरी (Tax Evasion) करने के लिए विदेशी बैंकों में जमा करते हैं ऐसे लोग विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय के रडार में रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं तथा इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि देश की करेंसी को अवैध रूप से बाहर भेजने के किसी भी प्रकार के कृत्य को रियायत न मिल सके। इस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय समय–समय पर विभिन्न भूमिकाओं में देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। कभी जनता के निवेशित पैसे के

प्रहरी के रूप, कभी बैंकों से किए गए डिफ़ाल्ट की भरपाई करवाने में तो कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे के प्रवाह के मैनेजर के रूप में। हर मामले में निदेशालय की प्रतिबद्धता उच्च कोटि की है।

सम्पूर्ण परिदृश्य की बात करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भले ही प्रवर्तन निदेशालय बड़ी परिसंपतियों/पूंजियों के मामलों को संज्ञान में लेती हैं और उनका अन्वेषण करती है परंतु पूरी कार्य प्रणाली के परिणाम का लाभ समाज के उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक पहुँचता है। इस प्रकार धनशोधन रोकथाम एवं विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन से परे अप्रत्यक्ष रूप से जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वह है "समाज कल्याण (Social Welfare)"। गैरकानूनी तौर पर संचित धन का सरकारी खज़ाने तक पहुँचना तथा अनेक योजनाओं द्वारा इस धन का समाज के निचले तबके तक प्रवाहित होना इस बात की सार्थकता को सिद्ध करता है। समाज कल्याण की भावना से ओत–प्रोत यह निदेशालय इस देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में हो रहा यह योगदान समाज एवं जन समुदाय के हर वर्ग में सुधार, विकास एवं कल्याण का संकेत है।

अनुरुध्द यादव
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

प्रेम

मनुष्य ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जिसके साथ वह व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करता हो । प्रेम मनुष्य का ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी वज़ह से वह किसी व्यक्ति के साथ ही समाज और दुनिया में अपने संबंधों को अभिव्यक्त करता है। प्रेम में मनुष्य के अंतर्मन में एक अहसास उत्पन्न होता है इसी अहसास के अनुरूप वह व्यवहार भी करता है। तमाम कष्टों के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के प्रति ऐसा मोह है कि वह अमरत्व चाहता है। इसका कारण यही है कि संसार में अवश्य ऐसा कुछ आकर्षण है कि लोग दुखों को सहने को भी तैयार रहते हैं। संसार का यह आकर्षण प्रेम ही है और प्रेम के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती ।

मनुष्य के जीवन में आनंद का आधार प्रेम ही है। जब मनुष्य तरह–तरह के कष्टों को सहकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है तब उसे प्रेम का सच्चा रूप प्राप्त होता है और उससे उसके आनंद में असीम वृद्धि हो जाती है। प्रेम में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए प्रत्येक धर्म संस्कृति में प्रेम के गुण को सर्वोच्च माना गया है। प्रेम ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ गुण है और इस गुण के कारण हम उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हजारों दीयों को एक ही दीये से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है उसी तरह खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। घृणा, घृणा करने से कम नहीं होती बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है।

असल में जब हम स्वयं से प्रेम करने का संकल्प लेते हैं, तभी हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते है। ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक मुनष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त न कर ले। जब मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रण और दूसरों को क्षमा प्रदान करता है तभी वह ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कर सकता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए करनी होती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं। प्रेम बहती नदी है, बंद तालाब नहीं। इसे परमार्थ के महानद में मिलने दें। स्वार्थ के संपुट में बंद प्रेम महल प्रेमाभास है। प्रेम ऊपर चढ़े, तो भक्ति है और नीचे गिरे तो आसक्ति। प्रेम रागात्मक है, वासनात्मक नहीं। हमारा सारा प्रेम शुभ के लिए होना चाहिए। हम व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, उसमें निहित आत्मा से प्रेम करते हैं। परमात्मा को धर्मालयों में बंद न करें। उसे सर्वत्र प्रेम के रूप में खिलने दें। बंद फूल मुरझा जाता है। उसे उपवन की खुली हवा में खिलने दें।

यदि आप जीवन में ऊंचाई को नापना चाहते हैं तो उपवन में खिले फूलों को देखें, जो खिलता है दूसरों को सुख देने के लिए और स्वयं मुरझाने के लिए। फूल कंटीली झाड़ी में भी मुस्कुराता रहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? साधु की साधुता में ही प्रेम को मत देखें, बल्कि दुष्ट की दुष्टता में भी प्रेम को निहारने की साधना करें। जब तक बंदा और खुदा के बीच खुदी का पर्दा है, तब तक खुदा का दीदार नहीं। प्रेम निश्छल होना चाहिए। वह चाहे सांसारिक प्रेम हो या परमार्थिक प्रेम। प्रेम में देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं। परमात्मा प्रेम है उसे निश्छल प्रेम ही चाहिए। सूर्य प्रेमवश जीवनदायिनी किरणें विसर्जित करता है। मेघ भेदभाव के बगैर सभी के खेतों में बरसता है। नदी प्यास मिटाने के लिए निरंतर बहती है। वृक्ष, फल लुटाने के लिए झुक जाते हैं हवा जीवन देने के लिए बहती ही रहती है। इस सप्रेम के बदले वह हमसे कुछ नहीं चाहते, यही दैवीय प्रेम का सार है। इसी प्रेम को जीवन में आत्मसात करके ही हम अपने खुशियों के संसार का विस्तार कर सकते हैं।

सन्तोष कुमारी
आशुलिपिक
मुख्यालय कार्यालय

वर्तमान समाज और नारी सशक्तीकरण

सशक्तीकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसलों को खुद ले सके। महिला सशक्तीकरण संसार भर में महिलाओं को ...क मुहिम है जिससे महिलाएं खुद अपने फैसले ले सकें और हमारे इस समाज और अपने परिवार के बहुत से निजी दायरों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसपन्न तथा विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, कानूनी हक तथा प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों।

आवश्यकता

हमारे देश को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार, पुरूष और स्वयं महिलाओं द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाए। महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीनकाल में भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरूष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके परिवार और समाज के द्वारा दबाया गया, उनके साथ बहुत तरह से हिंसा की गई तथा परिवार और समाज में भेदभाव किया गया, प्राचीनकाल के भारतीय समाज में भेदभाव दस्तूरों के साथ साथ सती प्रथा, नगर वधु व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि परंपरा थी।

पिछले कुछ सालों में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। ऐसे बड़े विषयों को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी के लगातार सहयोग की बहुत अधिक ज़रूरत है। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम जैसे एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज रोकथाम अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, मेडिकल तर्म्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 आदि को चलाया गया है।

राष्ट्र निर्माण में भूमिका

महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा होती है। इसी वजह से राष्ट्र के विकास को इस महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कामों को समझा जा सकता है।

समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तीकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जा सकता है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का बहुत आवश्यक अंग है।

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से देश में महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बराबर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति, 2001 में घोषित की गई थी। सभी निर्णायक निकायों में निर्णय प्रक्रिया में नारी सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान कानून में संशोधन द्वारा नारी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील तथा घरेलू हिंसा या वैयक्तिक आक्रमण की रोकथाम के लिए नए कानूनों को निर्माण एवं अपराधियों के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था की गई है।

उपसंहार

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तीकरण लाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरूष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरूद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं।

ठाकुर आशुतोष सिंह
आशुलिपिक श्रेणी– ।।
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

बिहार एक अनोखा राज्य

बिहार राज्य को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी वर्तमान राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों ने, मुगल शासकों ने भी राज किया है। कहा जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार उतर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उतर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। 1912 में बंगाल के विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन् 1935 में उड़ीसा और सन् 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया।

बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और समाजिक दृष्टि से उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। एक समय बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केन्द्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंन्द्र थे। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति तथा अकर्मण्यता से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हाजीपुर में केंन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट तथा केंन्द्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया है, जो अच्छा संकेत है।

लोगों का यह मानना है। कि बिहार मे लोग बहुत ही मेधावी और मेहनती होते हैं। वह अपने दम पर कोई भी काम करते हैं। प्राचीन काल में विश्व का गौरव कहे जाने वाले बिहार के युवा पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। देश भर की सरकारी नौकरियों में चयनित हो देश की सेवा कर युवा बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान मे पूरा भारत बिहार की प्रतिभा का लोहा मान रहा है। आज बिहार में केरल, तमिलनाडू, आन्ध्रा और गुजरात से अधिक संख्या में आई.ए.एस और आई. पी.एस निकल रहे हैं।

यदि आन्ध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज्यादा है। आपराधिक स्तर बात की जाए तो आज जहाँ अन्य राज्यों में निरंतर क्राइम रिकार्ड टूटता दिखाई दे रहा है बिहार में इसकी संख्या कम होती जा रही है।

वैसे तो बिहार और बिहारी शब्द किसी से अपरिचित नहीं हैं पर आज जिस तरह से भारत के कुछ राज्यों में बिहार के लोगों को उपेक्षित–दृष्टि से देखा जाता है और मजाक का पात्र समझा जाता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि भारत में ही कुछ स्थानों पर बिहार के लोग खुद बिहारी कहने से डरने लगे हैं। पर आज जो लोग बिहारी शब्द को गाली के तौर प्रयोग कर रहें हैं, जो बिहार वासियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहें हैं उन्हें बिहार के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और

यहाँ के लोगो के बारे में नजदीक से जानने की ज़रूरत है।

बिहार वो जगह हैं जहाँ गंगा, बागमती, कोषी, कमला, गंडक, घाघरा, इत्यादि नदियाँ बहती हैं। बिहार में बोली जाने वाली विविध भाषाएँ जैसे अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इत्यादि बिहार की संस्कृति की समृद्धि का परिचय देती हैं। यहाँ देश के पहले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म हुआ। बिहार अपने खानपान की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही तरह के व्यंजन पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त खाजा, मोतीचूर के लड्डू, तिलकुट यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ादही और लिट्टीचोखा जैसे स्थानीय व्यंजन अन्य राज्यों से भी लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। बोधगया जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, देश विदेश में लोगों को शांति अहिंसा और ज्ञान का उपदेश देता है और यह विदेशी सैलनियों को भी यहाँ आकर्षित करता है। गया के फल्गु नदी में पूर्वजों को दिया जाने वाला पिंडदान, जिसकी जड़ें रामायण काल से जुड़ी हुई हैं, देश भर के लोगों के आस्था का केन्द्र है। जालान म्यूज़ियम, गोलघर, पटना संग्रहालय, विधान सभा भवन, हाईकोर्ट भवन तथा धार्मिक स्थलों में हरमंदिर, बड़ी पटनदेवी, छोटी पटनदेवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सूर्य मंदिर, थावे काली माता मंदिर, वैष्णो धाम अमनौर, माँ दुर्गा का मंदिर जो कटिहार में है इत्यादि यहाँ मौजूद है।

बिहार की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को सहेज कर रखते हुए इसकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

आकाश कुमार साह
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद
प्रयागराज

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

सरकारी तथा निजी क्षेत्र में लोगों द्वारा कोई बड़े और छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट मार्गों और अनुचित तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसका एक कारण यह है कि लोग कड़ी मेहनत किए बिना बड़ी से बड़ी सफलता पाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसी बुरी कुप्रथाओं को प्रयोग में लाकर कहां जा रहे हैं? निश्चित रूप से विनाश की और जा रहे हैं! हम में से हर एक को किसी भी प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना में सरकार की भूमिका

सरकार अपने प्रयास से देश में मौजूद भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर समस्याओं को उसकी जड़ों से खत्म कर दिया जाए तो सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। भारत सरकार को इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। किसी भी तरह की भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल लोगों को गंभीर रूप से दंडित किया जाना आवश्यक है।

देश के सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी काम के प्रति अपने प्रतिरक्षित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए वे बिना किसी झिझक के रिश्वत लेते हैं। इन गैर–प्रथाओं पर कड़ाई से जाँच की जानी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लेना और सत्ता में बैठे लोगों के लिए काम करना एक आम प्रवृत्ति बन गई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी भ्रष्ट हैं। बहुत सारे अधिकारी एवं कर्मचारी ईमानदारी से अपना कर्तव्यों का पालन करते हैं लेकिन विडंबना यह है कि जो लोग सही तरीके से काम करते हैं वे काम मात्रा में पैसा कमाते हैं और जो लोग भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वे अच्छा मात्रा में पैसा कमाते हैं तथा बेहतर जीवन जीते हैं। इस रास्ते पर चल कर मिलने वाले लाभों को देखते हुए जिन लोगों को भ्रष्ट तरीकों का पालन मंजूर नही होता है, उनमें से भी कुछ लोग इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।

इन प्रथाओं में शामिल लोगों को पकड़ने या दंडित करने के लिए कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। रिश्वत देना भी रिश्वत लेने जितना बुरा है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम रिश्वत देते हुए देखा है।

चौराहों पर लाल बत्ती को पार करने के लिए यातायात पुलिस को धन की पेशकश करना या तारीख निकलने के बाद फार्म जमा करने के लिए पैसे की पेशकश करना आम बात हैं।

हम जानते हैं कि यह नैतिक रूप से गलत है और भ्रष्टाचार को बढावा दे रहे है, लेकिन फिर भी हम यह सोचते हैं कि इससे हमें लाभ मिलेगा और यह कुछ समय के लिए है तथा शायद ही इसका कोई बड़ा प्रभाव भविष्य में पड़ेगा। हालांकि अगर हमें यह पता चल जाए कि इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और ऐसा करने से हम संकट में पड़ सकते हैं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमें यह पता चल जाए कि ऐसा करने से हम पर ज़ुर्माना लगाया जा सकता है तो हम उसमें शामिल होने की हिम्मत नही करेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना में मीडिया की भूमिका

हमारे देश का मीडिया काफी मज़बूत है। इसे बोलने और अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार हैं। भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने के लिए इस अधिकार का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मीडिया को नियमित रूप से स्टिंग ऑपरेशन करने चाहिए और भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने वाले लोगों का नाम उजागर करना चाहिए। यह केवल दोषी को सबक ही नहीं सिखाएगा बल्कि आम जनता में डर भी पैदा करेगा। वे भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करने से पहले दो बार सोचेंगे।

निष्कर्ष

यह आम जनता, मीडिया और सरकार के संयुक्त प्रयास के द्वारा जो आज देश में भ्रष्टाचार मौजूद है। उससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में मदद कर सकता है, तथा देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ बेहतर सुविधा बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

राजेश कुमार
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

पर्यावरण का बदलता स्वरूप, जीवन की क्षीण होती गुणवत्ता

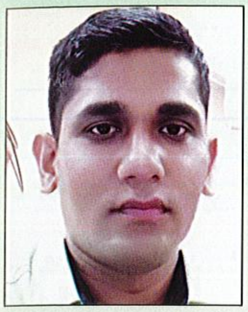

प्रकृति के मौखिक घटकों को जानने की उत्सुकता में हम कितनी दूर निकल आये, किसी को पता नही। अगर हम स्थिरता से सोचें और अनुमान लगायें तो हम खुद को उसी जगह पर स्थिर मिलेंगे जहाँ से हमने अपने ख्वाबों की उड़ान शुरू की थी। यह वही संसार है जहाँ हम पैदा हुए और यहीं पर हमें अपघटित हो जाना है, तो फिर उन ख्वाबों का क्या जिनको हमने बड़ी उत्सुकता से मन में पिरोया और मन ही मन चल पड़े आसमान की बुलंदियों को छूने। हमने अपने ख्वाबों में प्रकृति के हर उस घटक को छुआ जो जीवन के लिए अति आवश्यक थे, यही नहीं, बल्कि उन घटकों को इतना खंगाला कि वे जीवन देने लायक रहे ही नहीं। उन घटकों मे से एक घटक है पर्यावरण।

प्रकृति में कई सारी चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जैसे पेड़, पौधे, जल, वायु, नभ, धरती इत्यादि। जीवन की शुरूआत वैसे तो स्वत: ही होती है किन्तु उसके पोषण के लिए उपरोक्त सभी घटकों की जरूरत होती है। आज की भाग–दौड भरी ज़िन्दगी में, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पूर्ण करने में हम प्रकृति का नुकसान करने से नहीं चुकते। क्या इसीलिए इन्सान को कुदरत ने बनाया है, कि हम रह–रहकर प्रकृति को अघात पहुंचाते रहे। इन्सानों से बलवान अन्य प्राणी भी इस संसार में जीवन जी रहे हैं। अगर वह प्रकृति के नुकसान पर उतर आयें तो हमारे मुकाबले कईं गुना प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए, अभी से हमें अपने अमूल्य पर्यावरण को बचाने हेतु कई सारे उपाय करने होंगे, तभी यह प्रकृति हमारे मन में पिरोये गये ख्वाबों को पूरा कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। अगर हम सदृढ़ होकर संकल्प करें तो क्या नहीं कर सकते, पर्यावरण को बचाने हेतु किये गये कृत्य हमें छोटे महसूस हों तभी हम इस मुश्किल को पार कर पायेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अपनाकर हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम करने की कोशिश कर सकते हैं।

1. शीशा युक्त ईंधन वाले वाहनों को प्रयोग में लाया जाना वर्जित कर देना चाहिए।

2. जरूरत होने पर ही, संशोधित ईधन युक्त वाहनों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन दायिनी ओजोन की क्षीणता कम हो सके।

3. प्लास्टिक का उपयोग तो तुरंत वर्जित होना चाहिए, आजकल शहरों में बढते हुए कूड़े के ढेरों में प्लास्टिक–पोलीथीन की प्रतिशतता सबसे अधिक है। इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा है तथा यह वर्षो तक अपने निर्मित रूप में ही बिना किसी अपघटन के ऐसे ही पड़ा रहता है, शहरों में तो इसकी भरमार है।

4. शहरों कस्बों में आजकल अनधिकृत कारखानों की भरमार है, ये कारखाने जल के साथ–साथ वायु को भी दूषित कर रहे हैं, क्योकि ये तय मानको के हिसाब से प्रकृति के घटकों का उपयोग नही करते। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। आजकल तो चोरी–छुपे ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है कि जल पीने लायक तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं रह गया है।

5. ध्वनि प्रदूषण से जीवों की मानसिकता पर असर पड़ता है, आजकल रॉयल इनफिल्ड

जैसी बाईकों में अति तीव्र ध्वनि पैदा करने वाले सायलैंसरो का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आए दिन सडकों पर दुर्घटना हो रही है, ऐसी बाईको को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।

6. पेड़–पौधे हमारे जीवन के लिए अमूल्य है, इन्हें लगाने एवं इनकी बढ़ोतरी हेतु प्रशासन को समय–समय पर उपाय करने चाहिए। पेड़–पौधे लगाने के बाद कम से कम इनके बड़े हो जाने तक (02 वर्षो तक) इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करें।

बहुत सी ऐसे व्यथाएं है जिससे आज के पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ है, गांवों की स्वच्छ हवा में सांस लेने वाले प्राणी की जीवन औसत आयु कम हो गई है, औसतन जो 90 वर्षों का जीवन जी लेते थे, वहीं शहरों में यह औसत 70 वर्षो पर सिमट रहा है, उपरोक्त सभी विषयों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण का स्वरूप बदल रहा है तथा जीवन की गुणवत्ता दिन–पर–दिन क्षीण हो रही है। आज ही से अगर इस समस्या से निज़ात नहीं पाया गया तो हम प्रकृति में जीवन के उस भयावह रूप को देखेंगे।

हरेन्द्र तोमर
उच्च श्रे. लि.
मुख्यालय कार्यालय

कहानी: सही दिशा

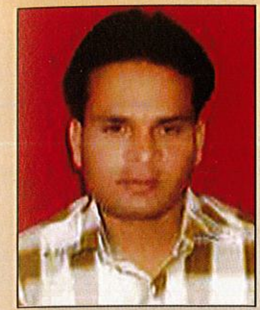

एक पहलवान जैसा, हट्टा–कट्टा, लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक रिक्शा वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। रिक्शा वाले ने कहा 200 रूपये लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा– इतने पास के दो सौ रूपये, आप रिक्शा वाले तो लूट रहे हो। मैं अपना सामान खुद ही उठा कर चला जाऊँगा।

वह व्यक्ति काफी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही रिक्शा वाला दिखा, अब उस आदमी ने फिर रिक्शा वाले से पूछा– भैया अब तो मैने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली है तो अब आप कितने रुपए लेंगे ? रिक्शा वाले ने जवाब दिया – 400 रुपए। उस आदमी ने फिर कहा – पहले दो सौ रुपए, अब चार सौ रुपए, ऐसा क्यों ? रिक्शा वाले ने जवाब दिया – महोदय, इतनी देर से आप साईं मंदिर की विपरीत दिशा में चल रहे हैं जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। अब उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रिक्शा में बैठ गया।

इसी तरह ज़िंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे सीधे काम शुरू कर देते हैं, और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें कि क्या जो आप कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है कि नहीं ।

अर्थात् हमेशा एक बात याद रखें कि दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी भी मेहनत करे कोई लाभ नहीं मिल पायेगा । इसीलिए दिशा तय करे और आगे बढ़े कामयाबी आपके हाथ जरूर लगेगी।

संदीप कुमार
निम्न श्रेणी लिपिक,
उप क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

ईश्वर का न्याय

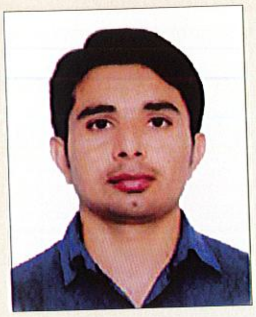

एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे।

थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला कि उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला मेरे पास तीन रोटी हैं, दूसरा बोला मेरे पास पांच रोटी हैं, हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं।

उसके बाद सवाल आया कि आठ रोटी तीन आदमियों में कैसे बांट पाएंगे??

पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी तीन टुकडे करते हैं, अर्थात आठ रोटी के चौबीस टुकड़े हो जाएंगे और तीनों में आठ आठ टुकड़े बराबर–बराबर बंट जाएंगे।

तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और आठ रोटी के आठ–आठ टुकड़े प्रत्येक ने आठ–आठ रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए।

सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया ओर प्रेम से आठ रोटी के टुकडों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप आठ सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया।

उसके जाने के बाद पहला आदमी ने दूसरे आदमी से कहा हम दोनों चार–चार गिन्नी बांट लेते हैं।

दूसरा बोला नहीं मेरी पांच रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ तीन रोटी थी अतः मैं पांच गिन्नी लूंगा, तुम्हें तीन गिन्नी मिलेंगी। इस पर दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा ।

इसके बाद वे दोनों सलाह और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की।

पुजारी भी असमंजस में पड़ गया, उसने कहा तुम लोग आठ गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की तीन पांच की बात ठीक लग रही थी पर फिर भी वह गहराई से सोचत–सोचते गहरी नींद में सो गया।

कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सारी बातें बताईं और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से तीन पांच बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्करा कर बोले नहीं। पहले आदमी एक गिन्नी मिलनी चाहिए ओर दूसरे आदमी को सात गिन्नी मिलनी चाहिए।

भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा–प्रभू ऐसा कैसे?

भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले : इसमें कोई शक नहीं कि पहले आदमी ने अपनी तीन रोटी के नौ टुकड़े किये परंतु उन नौ में से उसने सिर्फ एक बांटा और आठ टुकड़े स्वयं खाया अर्थात उसका त्याग सिर्फ एक रोटी के टुकड़े का था इसलिए वो सिर्फ एक गिन्नी का ही हकदार है।

दूसरे आदमी ने अपनी पांच रोटी के पन्द्रह टुकड़े किये जिसमें आठ तुकड़े उसने स्वयं खाएं और सात टुकड़े बांट दिए। इसलिए वो न्यायानुसार सात गिन्नी का हकदार है। ये ही मेरा गणित है और ये ही मेरा न्याय है!

ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यह ही है कि हमारा वस्तुस्थिति को देखने का, समझने दृष्टिकोण और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्यायलीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी है।

हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग के आधार पर यथोचित निर्णय करते हैं।

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न है, महत्वपूर्ण यहीं है कि हमारे सेवाभाव कार्य में त्याग कितना है।

देशराज मीना
एम टी एस
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

गंगा सागर तीर्थ

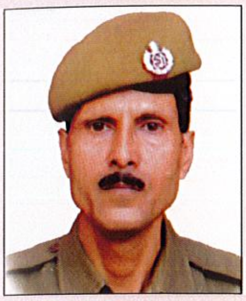

गंगासागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगाजी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि–मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिलमुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिलमुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिलमुनि आश्रम बना कर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहां से गुजरते हैं, वे राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60 हजार पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज हो कर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज़ से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पोत्र राजा भगीरथ कपिलमुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिलमुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60 हजार मृत पुत्रों को मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरूखों के भस्त स्थान पर गंगा को मकर संक्रान्ति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगासागर कहलाया। इसलिए यहां स्नान का इतना महत्त्व है। इसी स्थान पर राजा के 60 हजार पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहां मकर संक्रान्ति पर बहुत बड़ा मेला लगता है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं।

कहते है यहां संक्रान्ति पर स्नान करने पर सौ अश्वमेघ यज्ञ और एक हजार गऊएं दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकल कर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है उस स्थान को 'गंगासागर' कहते है । इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगासागर मेला के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्मग्रन्थों में इसकी चर्चा मोक्षधाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रान्ति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर–संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना जिले में स्थित इस तीर्थस्थान पर कपिलमुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु

वंश के राजा सगर के 60 हजार पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहां मकर संक्रान्ति पर पुण्य– स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि गंगासागर की तीर्थयात्रा सैंकड़ों तीर्थयात्राओं के समान है। हर किसी को यहां आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार–बार गंगासागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब यहां पहुंचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है, जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसीलिए इस मेले का नाम गंगासागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अन्तिम दिन लगता है। यह मकर संक्रान्ति का दिन होता है, सुन्दरबन निकट होने के कारण गंगासागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है परन्तु परम्परा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यन्त शुभ व पवित्र माना जाता है। गंगासागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते है। समुद्र में पूजन एवं पिण्डदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगासागर में स्नान–दान का महत्त्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिलमुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिलमुनि तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। यहां मैन्ग्रोव के दल–दल, जलमार्ग तथा छोटी–छोटी नदियां, नहरें भी हैं। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगाजी की धारा सागर में मिलती थी किन्तु अब इसका मुहाना पीछे हट गया हैं, अब इस द्वीप के पास गंगा जी की एक बहुत छोटी–सी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मन्दिर नहीं है। गंगासागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगासागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहां काफी आबादी है। यह पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहां की भाषा बँगला है। लेकिन हिंदी–भाषी लोगों के साथ हिंदी में भी बात करते हैं। यहां पर रहने के लिए होटल मिलते हैं, साथ ही साथ यहां विभिन्न मतों के अनेक आश्रम, धर्मशालाएं भी हैं।

सचिन्द्रनाथ पांजा
वाहन चालक स्पेशलग्रेड
मुख्यालय कार्यालय

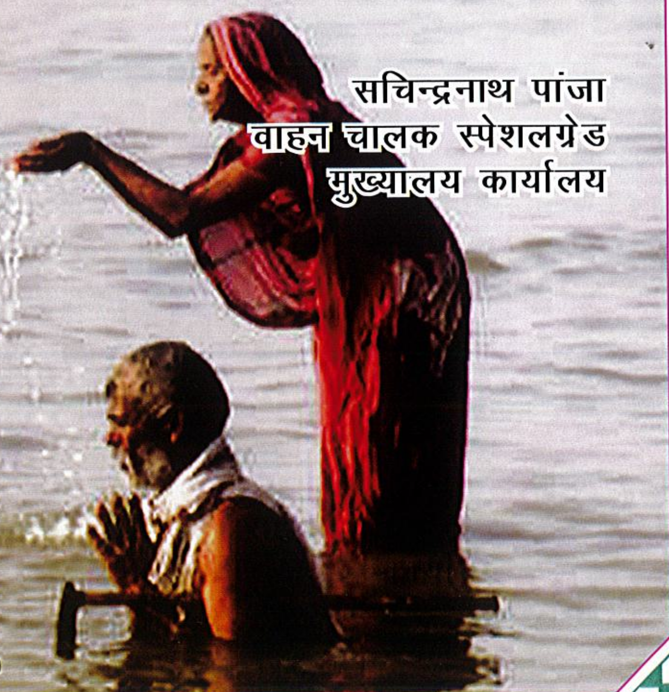

कुछ बीते हुए लम्हों की यादें

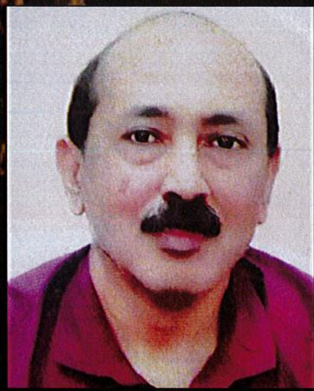

आज की महफ़िल में मेरा एक ही फ़साना है
जीवन का नियम ही तो आना और जाना है
कुछ पल खुशियों के और कुछ गम के यहाँ बिताने है।
फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

जुदा होना तो किस्मत की बात है
पर जुदाई का मतलब भुलाना नहीं होता
फिर उड़ चल जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

वो मिल जाते हैं कहानी बनकर
दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर
फिर उड़ चल जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

जिन्हें हम रखते हैं अपनी आँखों में
क्यों निकल जाते है वो पानी बनकर
फिर उड़ चल जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

फूलों की तरह दिल में
बसाएँ हुए रखना
यादों के चिरागों को जलाए रखना
फिर उड़ चल जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

लम्बा है यह सफर
इसमें कहीं रात तो होगी
ख्वाबों में सही, कहीं मुलाकात तो होगी
फिर उड़ चल जाना है पंछी को जहाँ पर उसका
ठिकाना है

यह चेहरे यह नज़ारे
यह जवा रुत यह हवाएं
हम जाए कहीं भी
इनकी महक साथ तो होगी

जे.पी. सिंह
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

मातृभूमि वंदना

जन्मभूमि भारत महान, हम इसकी जय–जयकार करे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी, महिमा का उच्चार करे।।

यहाँ हुए हैं कर्ण, शिवी और ऋषि दधीच से बलिदानी;
विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि मुनि, याज्ञवल्क्य से वे ज्ञानी;
रामचन्द्र से जनपालक और वाल्मीक से गुणवानी;
गीता का उपदेश दिया वे श्री कृष्ण चक्कर–पाणी;

द्रौण, भीष्म की इस धरती का, वन्दन बारम्बार करे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी, महिमा का उच्चार करे।।१।।

प्रियदर्शी सम्राट हुए यहाँ, और हुए थे बुद्ध महान;
विक्रम और वराहमिहिर, यहाँ कालिदास से थे विद्वान;
पतंजलि की जननी है यह, जिनका योगशास्त्र का ज्ञान;
आर्यभट्ट को भूल न सकते, शून्य तत्व जिन दिया बखान;

सुश्रुत, धन्वन्तरी, चरक का, सुमिरन शत शत बार करे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी, महिमा का उच्चार करे।।२।।

जन्मभूमि कविवर रविन्द्र की, जिनका विश्वपटल पर मान;
संत कवि ज्ञानेश्वर संग में, तुलसीदास, रविदास महान;
नानक, मीरा, सूर, कबीरा, नामदेव, दादू, रसखान;
केशव, दिनकर, पन्त, निराला, महादेवी, का करें बखान;

बने विवेकानंद, देश दुनिया में हम हुँकार भरे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी, महिमा का उच्चार करे।।३।।

जननी यह राणा प्रताप की, वीर शिवाजी की यह आन;
तिलक, गोखले, बोस, भगत, आजाद, पाल हैं इसकी शान;
भीम, जवाहर, जेपी, इंदिरा, लौहपुरूष इसकी पहचान;
विश्व–शांति के अग्रदूत हम निर्बल का करते कल्याण;

जियो और जीने दो के, नारे का हम उद्गान करे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी, महिमा का उच्चार करे।।४।।

रमन और बासु को पाकर, धन्य हुआ था यह विज्ञान
कर्मयोगी विश्वेश्वरैया और, रामानुजम गणितज्ञ महान
भाभा, विक्रम और कलाम, कुरियन से रत्नों की यह खान
सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम का दिया जगत को हमने ज्ञान

बापू के सपनों का भारत, मिल–जुल कर तैयार करे।
सप्तदीप नवखंड में इसकी महिमा का उच्चार करे।।५।।

जसराम मीना,
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

क्या हम सच में आज़ाद हैं

कहीं चल रही है गोली और कहीं बम
मजदूर को अपनी मेहनत का मेहनताना है कम
रोज़मर्रा की आज़ीविका निकाल रही है सबका दम
खुशी के क्षण तो भुला ही देता है इतना है गम
गम इतना बढ़ गया अब तो किसी की आँख ना होती नम
हमारे ज़र्रे–ज़र्रे में द्वेष, ईर्ष्या, वैर, वैमनस्य गया है रम
ऊपर वाले और ऊपर हुए, नीचे वाले धरातल, कहाँ रहा सम
लेकिन इस सबके बावजूद 72 बरस से आजाद हैं हम
और बढ़ी हुई आबादी से आबाद हैं हम
तजो अवगुण नहीं तो समाज के दाद हैं हम
फोड़ा और मवाद हैं हम
पूछें, क्या घृणा और धार्मिक उन्मूलता के नाद हैं हम
अरे भाई सुधरोगे नहीं तो यह कहना छोड़ दें कि
आज़ाद हैं हम
फिर तो मानवता का अपवाद हैं हम।

करूण कटारिया
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

बेटे

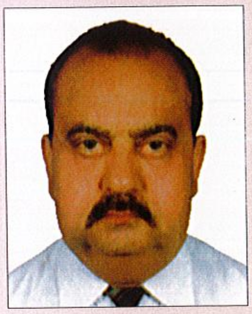

बेटे सभी नहीं होते कपूत।
अपनों से दूरी होती है उनकी मजबूरी।
नहीं बच पाते वे चक्की के दो पाटों में साबुत
बेटे सभी नहीं होते हैं कपूत।

ऐसे भी होते हैं होम कर देते हैं जो
अपनी इच्छाएं, और कर देते हैं समर्पित
सर्वस्व ''श्रवण'' की तरह।
बेटे सभी नहीं होते हैं कपूत।

निभाते हैं कई किरदार परिवार की खातिर।
घर की जिम्मेदारी में टूटते हैं सपने उनके भी।
बेटे, सभी कपूत नहीं होते हैं।

ईमानदार रहकर भी चुकाते हैं कीमत
सहते हैं बहुत कुछ, नारी मुक्ति की आड़ में।

झेलते हैं पुरूष–प्रधान मानस में पूर्वाग्रहों का दंश,
घरेलू हिंसा,दहेज का एक–तरफा चाबुक
बना देता है उन्हें 'बुत'
बेटे, सभी नहीं होते कपूत।।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
सहायक निदेशक,
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

मित्रता

ज़िंदगी तेरे रंग देख रहा हूँ,
कुछ फीके, तो कुछ रंग–बेरंग देख रहा हूँ।
तेरे बनाये नियम, कायदे,
और इसमें ढले इंसान देख रहा हूँ।
कुछ मौसम की तरह बदलते हैं,
तो कुछ गिरगिट की तरह।
खुशनसीब हूँ मैं,
जो नहीं बदलते समय के साथ,
वे दोस्त अपने संग देख रहा हूँ।

विनय सूद,
प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

दोस्त अब थकने लगे हैं।

किसी का पेट निकल आया है,
किसी के बाल पकने लगे हैं।
सब पर भारी ज़िम्मेदारी है,
सबको छोटी–मोटी कोई बीमारी है।
दिन भर जो भागते–दौड़ते थे
वो अब चलते–चलते भी रूकने लगे हैं।
पर ये हकीकत है,
सब दोस्त थकने लगे हैं।।
किसी को लोन की फिक्र है,
कहीं हैल्थ टेस्ट का जिक्र है,
फुर्सत की सबको कमी है,
आंखों में अज़ीब सी नमी है,
कल जो प्यार के खत लिखते थे।
आज बीमे के फार्म भरने लगे हैं

पर ये हकीकत है
सब दोस्त थकने लगे हैं।
देखकर पुरानी तस्वीरें
आज जी भर आता है,
क्या अज़ीब सा है ये वक्त भी
किस तरह गुज़र जाता है।
कल का जवान दोस्त मेरा
आज अधेड़ नज़र आता है
ख्वाब सजाते थे जो कभी
आज गुजरे दिनों में खोने लगे हैं
पर ये हकीकत है
सब दोस्त थकने लगे हैं।

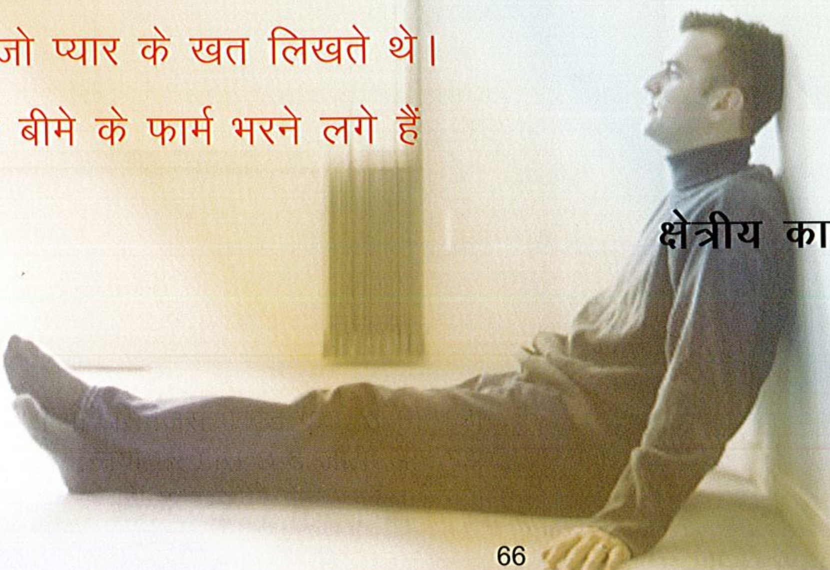

मुकेश कुमार
प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

ज़िंदगी एक पहेली

हैरान हूँ ज़िंदगी मैं तुम्हारे संग हर
साक्षात्कार से,
कभी वास्तविकताओं के अतल कटु सागर में
डूबी सुखद भ्रमों संग उतराती इतराती,
तो कभी भ्रमों के भवसागर में गोते लगाती
छद्म वास्तविकताओं की आस
संजोती–संवारती इठलाती,
कभी खुशियां समेटती जाती नए–नए
टीलों पर अपना वास बनाती,
तो कभी खुशियां सिमटती जातीं
अगम्य–दुर्गम घाटियों को ही प्रारब्ध बताती,
कभी बन विहग खुशियों के उन्मुक्त
गगन में फिरती–विचरती
छोटी काली बदरी देख अंतर्मन तक
सिहरती–सिमटती,
तो कभी घनीभूत पीड़ा की
असह–अनवरत लड़ी होती
और तू विहसति–मुस्कुराती मुस्कानों के
मुक्तकें गूँथती–पिरोती जाती,
कभी चहकती और फुदकती, वितान हो
जैसे एक जग सारा,
हर शाख–डाल पर प्रीत–फुहार उड़ेलती,
तो कभी ठिठकती और ठहरती बैठ
एकांत–गुमसुम
पुष्पों संग शूलें सर्वदा ध्रुव सत्य
समुझाती–बुझाती,

कभी महफिलों से हो नदारद
सूनसान–वीरानों में नीड़ बनाती,
तो कभी तन्हाइयों की तलहटियों में
हिलोरती–मथती
यादों की अनगिनत महफिलें लगाती।
कभी झंझा–झकोर गर्जन होता,
वेदनाओं–व्यथाओं से प्रकंपित असीम नभ
दिखता,
पर करूणा कलित हृदय युक्त तुम
संवेदनारहित अश्रुविहीन गुजर आती,
तो कभी उठती–उफनती लहरों के
अहसास मात्र से
आत्मीय संवेदनाओं–सहानुभूतियों के उत्तुंग
ज्वारों में,
स्वयं को अंतर्तन तक निमज्जित पाती।
——————————अनंत राहें होतीं,
अनगिनत चाहें होतीं,
पर हर राह में जीवन की नई–नई थाप
सुनाए जाती।
परवाह नहीं अब खोने ना पाने का–
——— हमें तो प्यार है......... बहुत प्यार है
ज़िंदगी तुम से,
ख्वाहिश है बस, तुम्हारे संग कुछ देर बैठ
बतियाने का,
कुछ देर बैठ बतियाने का।

समीर कुमार वर्मा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

नन्हीं परी

मिली मैं एक परी से आज
न थी वो कोई आसमान की परी
और न ही थी कोई जलपरी
शायद किसी सफ़र पर जा रही थी
सितारों से जड़ी लाल रंग की चूनर ओढ़े
जिसने उसके पंखों को ढक लिया था
अपनी बीती ज़िदगी को पीछे छोड़े
खुशी का एक टुकड़ा उसने अपने भीतर रख लिया था
पर ना जाने कौन सा दुख तथा उसे
उसकी आँखों में ओस की नमी थी
भीड़ के बीच में उसकी पालकी थी
फिर उसे किस बात की कमी थी
हाँ अपने पापा की परी थी वो
मन में उमंग और उम्मीदें लेकर चली थी वो
उसकी जादू की छड़ी कहीं गुम हो गई थी
उसके चेहरे की हँसी भी खो गई थी
माना कि लाल रंग जोश और उत्साह का प्रतीक है
लेकिन सितारे फिर थी चुभते हैं ....

दीपिका त्रिपाठी
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

अद्‌भुत मन्त्र

मैं खोज रही थी उस शक्ति को,
जो मेरा बेड़ा पार करे,
कोई ऐसी अद्‌भुत शक्ति जो,
मुझ पर थोड़ा उपकार करे।
तब हुआ एक दिन चमत्कार,
एक संत महात्मा आये मेरे द्वार।
मन माँगा मुझको मिला वरदान,
लगा, मेरी खुशियों का हुआ आह्वान।
उनके चरणों में पुष्प चढ़ाये,
उनके लिए फल–फूल मंगाए,
फिर धीरे से विजय का मन्त्र पूछा,
महात्मा जी मुस्काए, कहा–है न मन्त्र दूजा।

शक्ति तुम में ही निहित है,
केवल कर्म ही सीमित है,
थोड़ा सा श्रम, थोड़ा मनोबल,
बनके सितारा चमकोगे उज्ज्वल।
श्रम वो जो पाषाण पिघला दे,
श्रम वो जो नाग को हिला दे,
श्रम ही जीत का तंत्र है,
श्रम ही केवल विजय का मन्त्र है।
विजय का यह मन्त्र अपनाकर,
बन जाओगे तुम कुंदन,
ज्ञान सुगंध प्रस्तरित होगी चहूँ ओर,
बन जाओगे तुम चन्दन।

प्राची सिंह
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

आस बाकी है

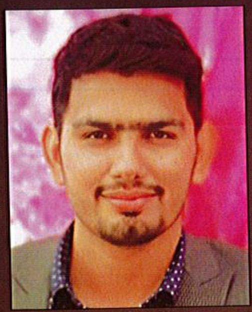

जब तक सीने में सांस बाकी है,
तब तक जीवन में आस बाकी हैं।

जमीने बंट चुकी तो क्या हुआ,
अभी तो सारा आसमान बाकी है।

अंधकार के बादल छाये तो क्या हुआ,
अभी सूरज का निकलना बाकी है।

सच के लिए जान भी गयी तो क्या,
अभी भी मुंह मे जुबान बाकी है।

संकट कितना भी गहरा हो तो क्या,
अभी सीने में लड़ने का जज़्बा बाकी है।

गम कितना भी गहरा हो तो क्या,
अभी चहरे पे मुस्कान बाकी है।

राहों में कितनी भी मुश्किल है तो क्या,
मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता बाकी है।

एक हार भी हुई तो क्या हुआ,
अभी दिल मे जीत की उम्मीद बाकी है।

जब तक सीने में सांस बाकी है,
तब तक जीवन में आस बाकी है।

सुशील छारंग
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

कोई और गाना गा ले

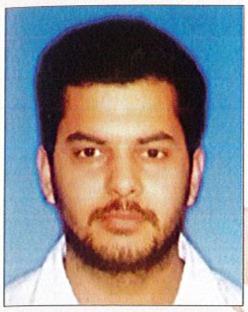

होली की मस्ती में तर
मैं था खुद से बेखबर
झूमता हुआ चला जा रहा था
और एक गीत की पंक्तियाँ गाता जा रहा था।

चाँद चुराकर लाया हूँ
आ बैठें चर्च के पीछे

एक बूढ़े आदमी ने ठिठक कर
मुझसे कहा डाँटकर,
अरे! तू हिंदू का लड़का है
मुसलमानों का चाँद चुराकर,
ईसाई के चर्च के पीछे बैठेगा
तो साम्प्रदायिक दंगा नहीं हो जायेगा?

तू धार्मिक भावनाओं को नहीं जानता,
हमारे नेताओं को नहीं पहचानता
पवित्र पुस्तक हो या गाना,
उन्हें मिल जायेगा बहाना
वे अपने अपने अर्थ गढ़ लेंगे
देखना इस गीत पर लड़ लेंगे।

इस गीत को भूल जा प्यारे
तुझे मस्ती चढ़ी है तो,
कोई और गीत गा ले
कोई और गीत गा ले।

शैलेश बँसल
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

तू मत ठहर

ज़ंजीर इन बन्दिशों की
तोड़ कर, तू निकल
राह में हैं काटे भरे
डर मत, तू संभल।
दिल में लेकर तूफान तू
आगे बढ़, मत ठहर
सुन किसी की बात ना
तू मत ठहर, तू मत ठहर।

अफ़सोस पूरी जिंदगी भर
सह ना सकेगा जान ले,
करले तू हिम्मत वक़्त पे
फिर कह ना सकेगा मान ले।
ख्वाहिशों को करने मुकम्मल
मुसाफ़िर निकल, ढूँढ़ ले डगर
सुन किसी की बात ना
तू मत ठहर, तू मत ठहर।

ये ज़िंदगी बस एक है
करले जो चाहे तू अभी,
तू बढ़ता जा बेफ़िक्र होकर
ना देखना पीछे कभी।
त्याग दे रिश्तों के मोह को,
जीत ले दूरी का डर
सुन किसी की बात ना
तू मत ठहर, तू मत ठहर।
वो कहते थे कहते रहेंगे
सुनेगा तू, खोएगा तू
हिम्मत है नहीं किसी में
डरेगा तू, रोयेगा तू।
करके सबको अनसुना,
बन जा बंदे तू निडर।

ज़ंजीर इन बंदिशों की
तोड़ कर तू निकल
सुन किसी की बात ना
तू मत ठहर, तू मत ठहर।।

अमित अभिषेक
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

वो बचपन कहाँ खो गया

कुछ ललक थी सीने में, बुझने सी लगी है,
बचपन की वो निश्छलता कहीं खोने सी लगी है,
रोक न पाता था जो हँसी अपनी।
कभी ज़िद, कभी आँसू लेकर,
कभी बड़ा होना ही न जो चाहता

जो डोलता था मस्त पवन सा,
जल सा था जो निश्छल,
चहकता था जो परिंदों सा,
लहराता था समन्दर सा
क्या सच में वो कहीं खो गया ?

नहीं ! शायद आज भी है वो मुझमें कहीं
जो रहेगा उम्र के अंतिम छोर तक
बस दब सा गया है ज़िम्मेदारियों के बोझ में
सोचता हूँ ! फिर से ढूँढ़ उसे
कभी हँस कर, तो कभी रोकर
करके कभी वो मासूम सी अठखेलियाँ

उतारता जाऊं उसे हर पन्ने पर ज़िंदगी के
फिर से जिऊं उन मासूम ख़्वाहिशों को उड़ता फिरूँ गगन में परिंदों सा
इस एकाकी जीवन में बना लूं उसे अपना मीत सा
जगा लूँ उस ललक को फिर,
जी लूँ फिर अपना बचपन जरा सा।
जी लूँ फिर अपना बचपन जरा सा।

रोहित कुमार
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

बँधी है एक नई आशा

जीवन के हर रंग में,
धूप–छांव के संग में ।
हर विश्वास के रूप में,
बँधी है एक नई आशा ।।
उषा की पहली किरण,
धड़कन की पहली खनन
जगाती उम्मीद का चमन,
बँधी है एक नई आशा ।।
भागती–दौड़ती ज़िंदगी के साथ,
उम्मीद के सपने लिए हाथ ।
गीत भरे फिज़ाओं के पाथ,
बँधी है एक नई आशा ।।
दीपक की जलती लौ में,
अँधियारा दूर की चाह में,
उत्साह भरे साए में,
बँधी है एक नई आशा ।।
कल बेहतर दिन माँगा,
ना मिला साहिल होगा ।
कुछ तो अच्छा ही होगा,
बँधी है एक नई आशा ।।
जीवन के अच्छे संस्कार,
प्रकृति से जुड़े विचार ।
परिवर्तित होगा नया संसार,
बँधी है एक नई आशा ।।
जिंदगी जीने का आधार बनाया,
कुछ कर गुजरने का उत्साह जगाया ।
आगे बढ़ने का हौसला बनाया,
बँधी है एक नई आशा ।।
दिशाओं में हवाएँ प्रतिकूल,
विश्वास के सपने अनुकूल ।
मन रहे हर पल प्रफुल्ल,
बँधी है एक नई आशा ।।

रवि कुमार
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

एक बीज मेरे सपनों का

जब से देखा है मैंने,
एक सपना नई निगाहों से।
हरियाली उग आई है वहाँ,
जहाँ बोया था, एक बीज प्यार से।
जगा दिया है उन बीजों को,
बारिश ने अपनी बुंदों से भिगोकर।
सूरज भी आया है उन बीजों को,
सहलाने अपनी तेज लेकर।
इन्हीं निगाहों से उस पौधे को,
पेड़ का रूप लेते हुए देखा है।
पशु–पक्षियों को उस पेड़ के नीचे,
विश्राम करते हुए देखा है।
अब जब निगाह डालता हूँ,
उस सामने के पेड़ के नीचे बैठकर,
लगता है काश यह सपना न होता।
बोता मै भी एक बीज,
और सच होता मेरा यह सपना।
अब बोने चला हूँ मैं वह बीज
जो सच कर देगा मेरा सपनों का पौधा ।

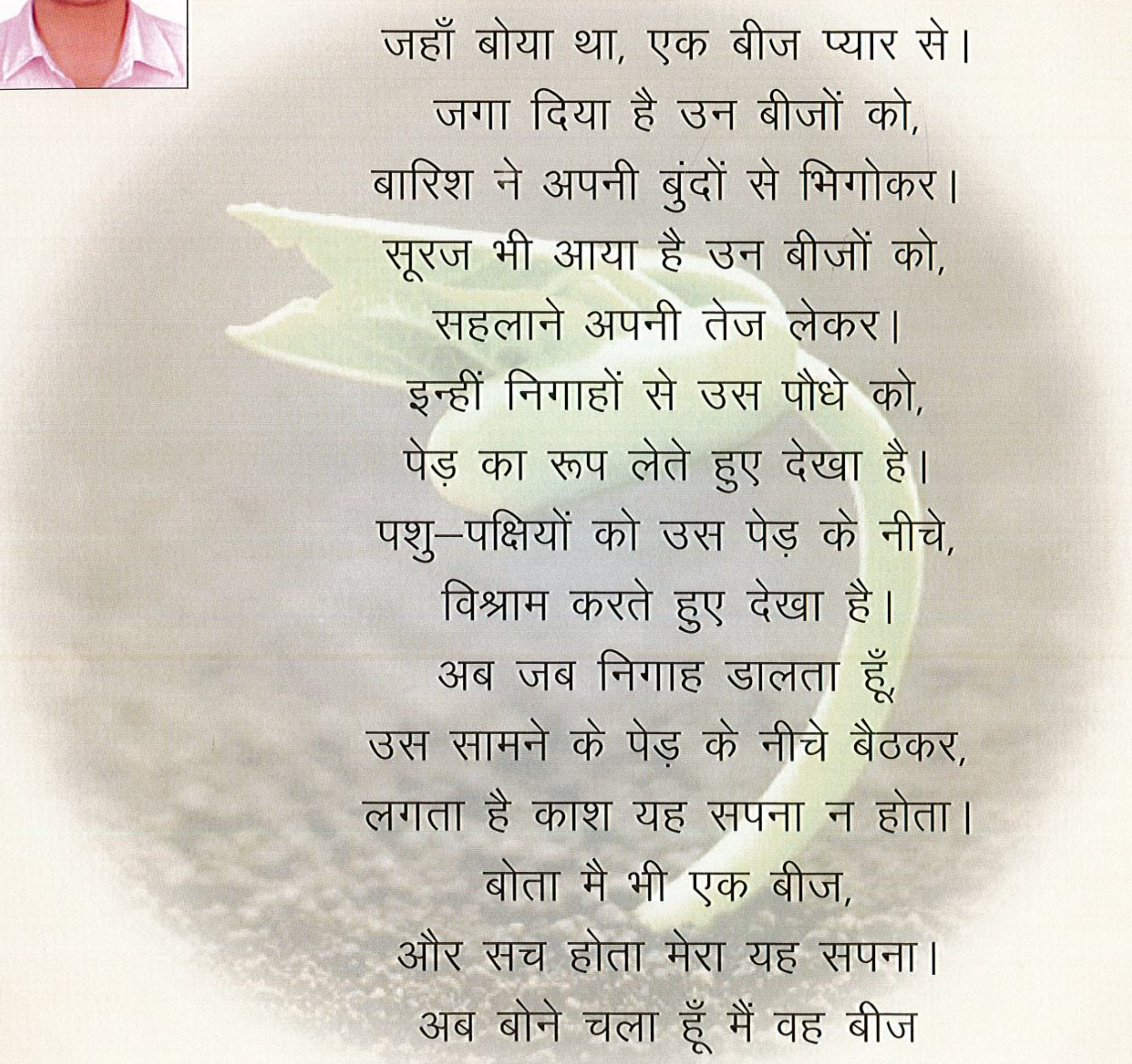

सूरज कुमार
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

बेटी का महत्त्व

आज की सदी में भी बहुत से लोग बेटी को बोझ समझते हैं। बेटी का मतलब एक प्यारी सी मुस्कान, बेटी का मतलब पापा का गुमान, बेटी का मतलब खिल– खिलाता फूल, बेटी मतलब अपना भविष्य और क्या कहें? बेटी मतलब क्या होता है। वों तो बस वही जानता है जिसे बेटी होती है। आज अपनी देश की सारी बेटियों के लिए कुछ कविता लिखी है जिसमें हर किसी को बेटियों का महत्त्व पता चले।

बेटी के प्यार को कभी आज़माना नहीं,
वह फूल है, उसे कभी रूलाना नहीं,
पिता का तो गुमान होती हैं बेटियाँ,
ज़िन्दा होने की पहचान होतीं है बेटियाँ

उसकी आँखें कभी नम न होने देना,
उसकी ज़िन्दगी से कभी खुशियाँ कम न होने देना,
अंगुली पकड़ कर कल जिसको चलाया था तुमने,
फिर उसको ही डोली में बिठाया था तुमने,

बहुत छोटा–सा सफ़र होता है बेटी के साथ,
बहुत कम वक्त के लिए वह होती है हमारे पास
असीम दुलार पाने की हकदार हैं बेटियाँ,
समझो भगवान का आशीर्वाद हैं बेटियाँ।

सुजीत कुमार
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरू

सहयोग का महत्व

किसी स्थान पर विशाल भवन का निर्माण हो रहा था। निर्माण स्थल के समीप ही लगा हुआ था – ईंटों का एक ढेर। ईंटों के ढेर में जमी ईंटों ने कहा गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण हमारे अस्तित्व पर ही आधारित है। भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा, निस्संदेह उसके निर्माण का श्रेय हमें ही मिलेगा।

मिट्टी गारें ने ईंटों की यह गर्व भरी बातें सुनी तो रहा ना गया। वह बोली, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुम नहीं जानती कि एक सूत्र में पिरोकर ईंट से ईंट जोड़कर इस भवन को सुदृढ़ बनाने का श्रेय तो हमें ही है। मेरे अभाव में तो तुम्हारे ये ढेर एक ठोकर मारकर ही गिरा दिए जा सकते है।

किवाड़ और खिड़कियों ने इसका प्रतिवाद किया, यह तो सभी जानते हैं कि तुम ईंटों को जोड़ जोड़कर दीवार खड़ी करती हो, पर यदि इस मकान में खिड़की और दरवाजें न रहेंगे, तो पूछेगा कौन? शिल्पी जो इन सबकी बातों को सुन रहा था ने कहा था आप लोगों में भले ही कितना भी सहयोग क्यों न हो, परंतु जबतक मेरा हाथ न लगे, सब अपने–अपने स्थान पर ही पड़े रहेंगे।

अब भवन की बारी थी। भवन ने जो कुछ कहा, वह स्वीकार्य सत्य था। भवन बोला, सबका महत्व है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है, सह–अस्तित्व। यह अस्तित्व के अभाव में किसी का व्यक्तिगत कोई महत्व नहीं है, इसलिए आपको झूठा अभिमान छोड़कर सहयोग का महत्व समझना चाहिए।

कौशल कुमार
आशुलिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

बचपन

पुलकित मन, चंचल चितवन, आकाश को छूती अभिलाषाएं, जग के राग–द्वेष से हटकर गढ़ती नित नई परिभाषाएं, थोड़ी खुशी, थोड़ी ललक भावना, निश्छल चमके भोलापन, जग जिसको अबोध समझता वह सुलझा–सा है बचपन, न कल की चिंता न तन की, कपड़े पहने बेमोल सही, खेल खिलौने हो कीमती या मिट्टी के कम मोल सही, कभी ताल तलैया में छप–छप, कभी डांट खाया सहमा–सा, प्यारी सी किलकारी भरता निश्चल चंचल भोला बचपन, लेकिन इस बचपन का वर्णन भी कुछ सत्य से हटकर लगता, जग की उम्मीदों के बोझ तले अब सहमा बचपन रहता है, भारी बस्तों के तले अब संभल के बचपन चलता है, न ताल तलैयों की छप–छप, न दौड़ भाग अब दिखती है, समय से पहले परिपक्व हुआ आधुनिकता में पैर गड़ाये, जग की चकाचौंध में लिपटा दिखता भोला, बचपन जीत की हरदम आस लिए, पिछड़ न जाऊं यह मनोबोझ लिए, सिहर रहा देखो बचपन, बचपन को बचपन ही रहने दो, खुलकर हंसने रोने दो, अपने सपनों का बोझ अभी से बच्चों को मत ढोने दो, बढ़ते तरुण में मानवता के कुछ बीज प्रेम के भी बो दे, हाथ पकड़ लो बेशक तुम बस रास्ते इनको चुनने दो, घर के फौहारे से हटकर बारिश की बूंदों का लुत्फ उठाने दो, द्रुतगामी मोटर से इतर कुछ कागज की नाव चलाने दो, कोमल मन को बढ़ने दो, नन्हें हाथों को थमने दो, मन की क्यारी खिलने दो, ताकि झूम उठे फिर से बचपन।

अमित कुमार सैनी
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

"समय की चाल"

समय कभी रुका नहीं,
समय कभी झुका नहीं।
समय का पहिया रुका नहीं,
समय से कोई जीता नहीं।।

पहले न कभी रुका था ये,
ना कभी रुकेगा ये।
समय वो शक्ति है,
जिसे बदल न सके कोई।।

समय के नियत जो न चला,
उसको मिली हार है।
जो समय से चला,
वो ही जीत पाया है।।

जिसने देखा है सबकुछ,
वह जानता है।
समय न कभी रुका है,
किसी के लिए,
न रुकेगा किसी के लिए।।
समय कभी रुका नहीं।
समय से कोई जीता नहीं।।

इस दौर में आईं हैं मुश्किलें बहुत,
पर जिसने इसको समझा वह न हारा है कभी।
जीत गया वह सब कुछ,
पर समय से न जीत पाया।।

समय कभी रुका नहीं।
समय से कोई जीता नहीं।।

राजेश कुमार मीना
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

अपना पथ देख

तू अपने पथ को देख
डर को तू निकाल दूर फेंक
हाथ बढ़ा आगे को तू
सभी करे तेरा उल्लेख।

भरी सभा में आगे बढ़ तू
जब ना करे कोई हस्तक्षेप
तू अपने पथ को देख
डर को तू निकाल दूर फेंक।

मतलब और स्वार्थ के बीच खड़ा तू
रौंद सभी को कर विक्षेप
तू अपने पथ को देख
डर को तू निकाल दूर फेंक।

जल्दी से हो जा तैयार तू
प्रेमभाव को लगा तू लेप
तू अपने पथ को देख
डर को तू निकाल दूर फेंक।

भरे वीर हुंकार तू
संवेदना को लिए हर एक
तू अपने पथ को देख
डर को तू निकाल दूर फेंक।

प्रतिमा कुमारी
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

हौंसलों की उड़ान

यूँ ही नहीं मिलती मंजिल
आसमान को छूने की,
परिंदे कभी तय नहीं करते
तालीम उड़ानों की,
जब सारस जैसा जुनून हो दिल में
विशाल उड़ान भरने का
फिर वे नहीं परवाह करते
कभी गिर जाने की।

खुशबू गुगलानी
आशुलिपिक
मुख्यालय कार्यालय

प्यारा हिंदुस्तान

अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव - गान है-
तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है।
गंगा, यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत-क्लेश है।
सजला, सफला, शस्य-श्यामला जिसकी धरा विशेष है।
ज्ञान-रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व-कल्याण है-
सत्त्-सत्य-रत, धर्म-प्राण वह अपना भारत देश है।
यहीं मिला, आकार 'ज्ञेय' को मिली नई सौग़ात है-
इसके 'दर्शन' का प्रकाश ही युग के लिए विहान है।

वेदों के मंत्रों गुंजित स्वर जिसका निभ्रांत
प्रज्ञा की गरिमा से दीप्त जग-जीवन अक्लांत है।
अंधकार में डूबी संसृति को दी जिसने दृष्टि है-
तपोभूमी वह जहाँ कर्म की सरिता बहती शांत है।
इसकी संस्कृति शुभ्र, न आक्षेपों से धूमिल कभी हुई-
अति उदात्त आदर्शों की निधियों से यह धनवान है।।

योग-भोग के बीच बना संतुलन जहाँ निष्काम है।
जिस धरती की आध्यात्मिकता, का शुचि रूप ललाम है।
निस्पृह स्वर गीता-गायक के गूँज रहें अब भी जहाँ-
कोटि-कोटि उस जन्मभूमि को श्रद्धावनत प्रणाम है।
यहाँ नीति-निर्देशक तत्वों की सत्ता महनीय है-
ऋषि-मुनियों का देश अमर यह भारतवर्ष महान है।

ज्ञान सिंह नेगी
उच्च श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

प्रकृति की सुंदरता

माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति
बिना मांगे हमें कितना कुछ देती जाती है प्रकृति।
दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति
रात में शीतल चाँदनी लाती है प्रकृति।

भूमिगत जल से हमारी प्यास बुझाती है प्रकृति
और बारिश में रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति।
दिन–रात प्राणदायिनी हवा चलाती है प्रकृति
मुफ्त में हमें ढेरों साधन उपलब्ध कराती है प्रकृति।

कहीं रेगिस्तान तो कहीं बर्फ बिछा रखे हैं इसने
कहीं पर्वत खड़े किए तो कहीं नदी बहा रखी हैं इसने।
कहीं गहरी खाई खोदी तो कहीं बंजर जमीन बना रखी हैं इसने
कहीं फूलों की वादियाँ बसाईं तो कहीं हरियाली की चादर बिछाई है इसने।

मानव इसका उपयोग करे इससे, इसे कोई ऐतराज़ नहीं
लेकिन मानव इसकी सीमाओं को तोड़े यह भी इसको मंजूर नहीं।
जब–जब मानव उदंडता करता है, तब–तब चेतवानी देती है यह
जब–जब इसकी चेतावनी नजरअंदाज़ की जाती है, तब–तब सज़ा देती है प्रकृति

विकास की दौड़ में प्रकृति को नज़रंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है
क्योंकि सवाल है हमारे भविष्य का, यह कोई खेल–कहानी नहीं है।
मानव प्रकृति के अनुसार चले यही मानव के हित में है
प्रकृति का सम्मान करें सब, यही हमारे हित में है।

सन्दीप कुमार छिकारा
उच्च श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

नारी बनी कल्याणी

नवयुग का करने निर्माण,
नारी बनी कल्याणी है,
पवित्रता की ओढ़ के चुनर,
निकली आज भवानी है।
दिव्य गुणों को करके धारण,
चली बनाने जग को पावन,
शिव का लेकर के संदेश,
कर रही अगवानी है।
नवयुग का करने निर्माण, नारी बनी कल्याणी है,
दुःख–अशांति को करने दूर,
अष्ट शक्तियों सम भरपूर,
परिवर्तन का बिगुल बजाने,
महाविनाश का बोध कराने।
ज्वालारूप निशानी है, नारी बनी कल्याणी है।
नवयुग का करने निर्माण, नारी बनी कल्याणी है,
हर नगर में, हर गांव में,
ऊँच–नीच का भेद मिटाने, नारी बनी वरदानी है।
नवयुग का करने निर्माण, नारी बनी कल्याणी है,
माँ की ममता भी उसमें,
संवारने की क्षमता भी उसमें,
उसका अब बदला रूप,
अबला नहीं जगदम्बा स्वरूप।
शिव ने दी अमित निशानी है।
नवयुग का करने निर्माण, नारी बनी कल्याणी है,
शिव शक्तियां ये कहलाती हैं,
शिव का ही ज्ञान सुनाती हैं,
धरती पर स्वर्ग बनाने को
पवित्रता की ज्योति जगाती हैं।
हर कल्प की यही कहानी है।
नवयुग का करने निर्माण, नारी बनी कल्याणी है।

विदुर कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

कविता

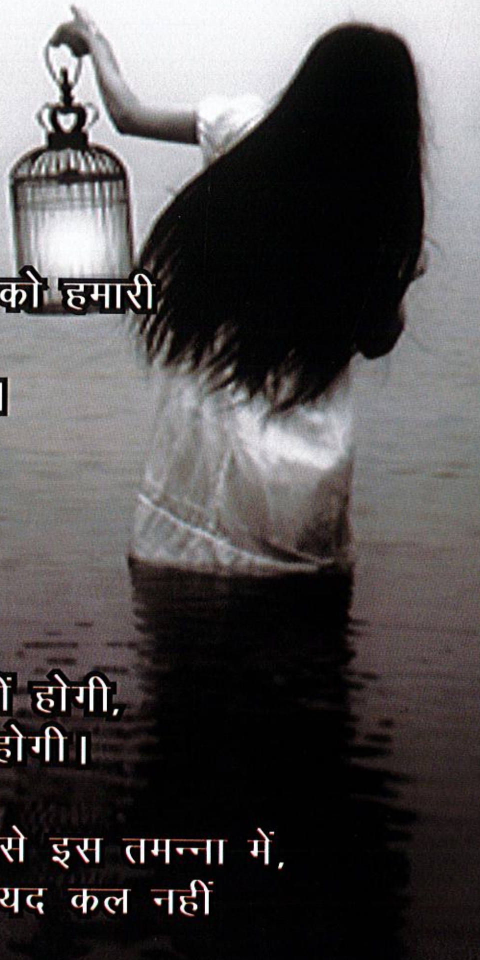

इन्सान का सबसे बड़ा
दुश्मन उसका दिमाग
होता है,

पकड़–पकड़ कर
लाता है उन लम्हों को
जो तकलीफ देते हैं।

पैसे में बहुत गर्मी होती
है, साहब सबसे पहले
रिश्ते जलकर राख होते हैं

क्या लूटेगा जमाना खुशियों को हमारी
हम तो खुद अपनी खुशियाँ
दूसरों पर लुटा कर जीते हैं।

बहुत नजदीक से देखा है,
दुनिया को तब ही तो
दूर बैठा हूँ मैं सबसे।

तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होगी,
समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी।

फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में,
कि मुश्किलें जो आज हैं, शायद कल नहीं
होंगी।

वर्षा सेमयूल्ल
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलुरू

गाँव की याद

शहर के 12 फीट के इस कमरे से मैं, गांव के मकान को याद करता हूँ,
पहाड़ों की मिट्टी को याद करता हूँ, खेत-खलिहान को याद करता हूँ
इस घर की खिड़की से मैं झांकता हूँ,
सड़कों पर दौड़ रही ज़िंदगियों को ताकता हूँ,
यहाँ सड़कें सीधी हैं, सपाट हैं, चका-चौंध से भरी हैं,

मैं, कामयाबी की तलाश में शहर की चमक में कहीं खो गया,
मेरा पहाड़ मुझसे छूटा, दिल में कही सो गया,
इस जिन्दगी की रफ्तार में, मैं भागने लगा,
इस शहर की धुंए भरी सुबह को जिन्दगी मानने लगा,
आज याद करता हूँ वो पहाड़ों की चहकती-दमकती सुबह,
ठण्ड से ठिठुरती, नदियों में बहती, क़ाफ़िलों में पकती सुबह,
यहाँ मैं रातों में आसमान को बड़े गौर से निहारता हूँ,
चाँद-तारे ढूंढने की कोशिश में धुएँ के बादलों से हारता हूँ,

फिर याद आती है अपने गाँव, अपने पहाड़ों की रातें,
तारों से रोशन आसमान, बूँद-बूँद टपकती बरसातें,

हर बार सोचता हूँ अपने गाँव वापस जाने की,
हर बार कोशिश करता हूँ इस दिल को मनाने की,
पर ये ज़िम्मेदारियाँ, यो पैसे, ये शहर मुझे जकड़ लेते हैं,
पहाड़ों की विशाल जमीन से दूर इस 12 फिट के कमरे में पटक देते हैं,
अब तो गाँव में बैठी बूढ़ी माँ भी मेरी राह देख कर थकती है,
बैंक में बढ़ते पैसे और बेटे से बढ़ती दूरी पर वो बिलखती है।

लाचार सा मैं, उसको झूठे दिलासा देता हुआ बस फोन पर बात करता हूँ,
शहर के 12 फीट के इस कमरे से मैं, गाँव के मकान को याद करता हूँ,
पहाड़ों की मिट्टी को याद करता हूँ, खेत-खलिहान को याद करता हूँ।

नीरज कुमार सहरावत
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

एक प्यार ऐसा भी

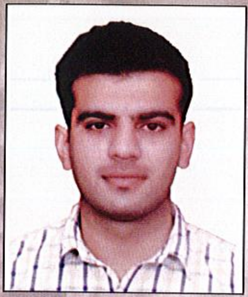

नींद की गोलियों की आदी हो चुकी
बूढ़ी माँ नींद की गोली के लिए ज़िद कर रही थी
बेटे की कुछ समय पहले शादी हुई थी
बहु डॉक्टर थी।
बहु सास को नींद की
दवा की लत के नुकसान के बारे में बताते
हुए उन्हें गोली नहीं देने पर अड़ी थी
जब बात नहीं बनी तो सास ने गुस्सा
दिखाकर नींद की गोली पाने का प्रयास किया।
अंत में अपने बेटे को आवाज़ दी।
बेटे ने आते ही कहा माँ मुँह खोलो।
पत्नी के मना करने पर भी बेटे ने जेब से
एक दवा का पत्ता निकाल कर एक छोटी
पीली गोली माँ के मुँह में डाल दी।
पानी भी पिला दिया। गोली लेते ही आशीर्वाद देती हुई माँ सो गयी।
पत्नी ने कहा
ऐसा नहीं करना चाहिए।
पति ने दवा का पत्ता अपनी पत्नी को दे दिया
विटामिन की गोली का पत्ता देखकर पत्नी के चेहरे पर मुस्कराहट आ गयी।
धीरे से बोली
आप माँ के साथ चीटिंग करते हो
पति बोला
बचपन में माँ ने भी चीटिंग करके
कई चीज़ें खिलाई हैं।
पहले वो करती थीं
अब मैं बदला ले रहा हूँ।
यह कहते हुए बेटा मुस्कुराने लगा।

मोहित दलाल
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

तू युद्ध कर

माना हालात प्रतिकूल हैं, रास्तों पर बिछे शूल हैं
रिश्तों पे जम गई धूल है
पर तू खुद अपना अवरोध न बन

तू उठ........ खुद अपनी राह बना..
माना सूरज अँधेरे में खो गया है.......
पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है
तेरे संग हैं उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है

तू खुद अपना विहान बन, तू खुद अपना विधान बन...........................
सत्य की जीत ही तेरा लक्ष्य हो
अपने मन का धीरज, तू कभी न खो
रण छोड़ने वाले होते हैं कायर

तू तो परमवीर है, तू युद्ध कर – तू युद्ध कर ....
इस युद्ध–भूमि पर, तू अपनी विजयगाथा लिख
जीतकर के ये जंग, तू बन जा वीर अमिट
तू खुद सर्व समर्थ है, वीरता से जीने का ही कुछ अर्थ है

तू दूसरों की प्रेरणा बन, दूसरों को प्रेरित कर
क्योंकि उत्साह के बिना जीवन व्यर्थ है
तू युद्ध कर – बस युद्ध कर ....

पुलकित गोदरा
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

निर्णय

उठाये थे शस्त्र अर्जुन ने
विरूद्ध अपनों के

शस्त्र उठाना कठिन तो था
पर निर्णय था संभव

क्योंकि निर्णय था मध्य धर्म व अधर्म के
किन्तु कोई कैसे चुने कोई एक पक्ष

जब घिरा हो चंहु ओर धर्म से
जब सुख एक का, दुख दूसरे का बन जाये

कहते हैं कृष्ण तू कर्म कर
न कर चिंता फल की

परन्तु फँस गया जो कोई अभिमन्यु की भांति
अपनों व अपनेपन के चक्रव्यूह में

फिर निर्णय लेना कैसे संभव हो पाए
भवसागर ये कैसे पर लग पाए?

जूही कुमारी
अवर श्रेणी लिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

यह मेरे देश का संविधान है

सबसे बड़ा और लिखित
कठोर व लचीलापन
मिश्रित
भारत की सम्पूर्ण
संस्कृति सम्मिलित
संविधान सभा द्वारा
निर्मित

सर्वोच्च कानून – शासन व्यवस्था का
ज्ञान है
यह मेरे देश का संविधान है

कुल 395 अनुच्छेद सहित
22 भाग 12 अनुसूचियाँ शामिल
26 नवम्बर, 1949 को आत्मार्पित
देश को बनाया स्वशासन के काबिल

यह स्वतंत्र भारत का आत्मसम्मान है
यह मेरे देश का संविधान है

एकात्मकता की एकल नागरिकता
समाजवादी, गणतंत्र व पंथ निरपेक्षता
विभिन्न राज्यों व प्रदेशों की संघात्मकता
नागरिकों की अनेकता में एकता

भारत की अंतरात्मा का गुणगान है
यह मेरे देश का संविधान है

सरकार के हैं तीन स्तर
संघीय राज्य, स्थानीय शासन पर
हमारी संसद का निर्माण करते
राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर

गांवों में सुशासन के लिए पंचायती राज का
विधान है
यह मेरे देश का संविधान है
जनता के लिए मूल अधिकार
नीति निदेशक तत्वों के लिए सरकार
लोककल्याण, लोकतंत्र, संप्रभुता
मूल कर्त्तव्य और संशोधन की व्यवस्था

यह हमारी आन–बान–शान है
यह मेरे देश का संविधान है।

अनु वर्मा
अवर श्रेणी लिपिक,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

बेटे भी घर छोड़ जाते हैं

हर उस बेटे को समर्पित जो घर से दूर रहते हैं

बेटे भी घर छोड़ जाते हैं.
जो तकिये के बिना कहीं.....
भी सोने से कतराते .....
आकर कोई देखे तो वो.....
कहीं भी अब सो जाते हैं.....

खाने में सौ नखरे दिखाने वाले..
अब कुछ भी खा लेते हैं.....
अपने रूम में किसी को.....
भी नहीं आने देने वाले.....
अब एक बिस्तर पर सबके.....
साथ एडज़स्ट हो जाते हैं.....
बेटे भी घर छोड़ जाते हैं.....

घर को मिस करते हैं लेकिन
कहते हैं 'बिल्कुल ठीक हूँ"
सौ–सौ ख्वाहिश रखने वाले.....
अब कहते हैं 'कुछ नहीं चाहिए'.....

पैसे कमाने की ज़रूरत में.....
वो घर से अजनबी बन जाते हैं.
लड़के भी घर छोड़ जाते हैं.
बना बनाया खाने वाले अब
खाना खुद बनाते हैं.....
माँ–बहन–बीवी का बनाया
अब वो कहाँ खा पाते हैं।
कभी थके–हारे भूखे भी सो जाते हैं।
लड़के भी घर छोड़ जाते हैं।

मोहल्ले की गलियां,
जाने–पहचाने रास्ते,
जहाँ दौड़ा करते थे
अपनों के वास्ते.....
माँ बाप यार दोस्त
सब पीछे छूट जाते हैं
तन्हाई में करके याद,
लड़के भी आँसू बहाते हैं
लड़के भी घर छोड़ जाते हैं
नई नवेली दुल्हन,
जान से प्यारे भाई–बहिन,
छोटे–छोटे बच्चे,
चाचा–चाची, ताऊ–ताई,
सब छुड़ा देती है साहब,
ये रोटी और कमाई।
मत पूछो इनका दर्द
वो कैसे छुपाते हैं,
बेटियाँ ही नहीं साहब,
बेटे भी घर छोड़ जाते हैं।

राजेश
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

जीवन एक संघर्ष है

जीवन उसी का नाम है जो संघर्षों से गुजरे,
उसका जीवन क्या जीवन है जो बच–बच कर निकले ।।

बिना संघर्ष के जो मिलता है वह भीख समान है,
मेहनत करके जो मिलता है उससे ही तो सम्मान है ।।

जीवन फूलों का बिस्तर नहीं कांटों का सफ़र है,
जो इस सफ़र में साथ दे वही सच्चा हमसफ़र है ।।

मुश्किलें तो आती हैं जीवन में मगर रास्ते भी बन जाते हैं,
डटकर सामना करने से नए रास्ते भी खुल जाते हैं ।।

जो निभा सका अपनी सच्ची ज़िम्मेदारी वही सच्चा वीर है,
क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है ।।

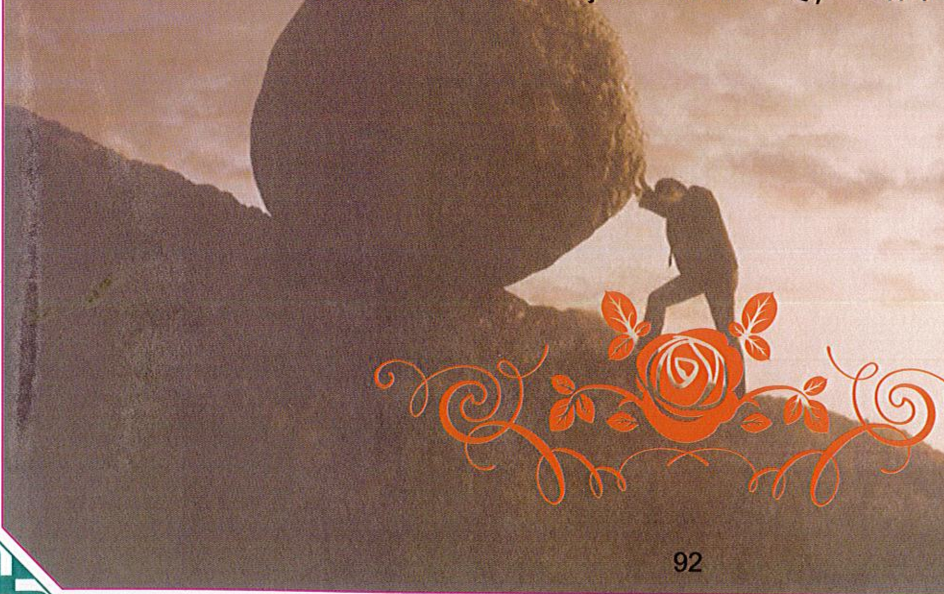

जितेंद्र सिंह
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन

पत्नी और मंदिर

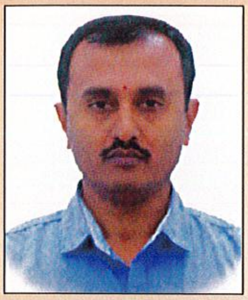

दो कमरों के घर में
ढूँढ ली है पत्नी ने अपने लिए
थोड़ी–सी पूजा की जगह
जहाँ कभी नहीं भूलती वह दीप जलाना
उसने बचा कर रखे हैं अपने पास
पिता के बेशुमार मन्त्र
छोटी–छोटी यादों के साथ
वह उनको भी छुपा कर ले आई थी
अपने साथ
उसने गुजारे हैं इन्हीं मंत्रों की उम्मीद पर
बेशुमार तकलीफ़ भरे क्षण
किया है मुकाबला बच्चों की बीमारी में
पाला है इन्हीं मंत्रों के विश्वास पर पूरा परिवार
उसका छोटा–सा मंदिर
बड़े–बड़े मंदिरों से भी बहुत बड़ा है।

चन्द्रशेखर. आर
सिपाही
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू

''जो दुनिया सारी छोड़ चले''

जो दुनिया सारी छोड़ चले, जो दुनिया सारी छोड़ चले।
ज़रा याद तो उनको कर लेना, आंखो में आंसू भर लेना।।
दो आंसू तुम भी आंखों से, जरा उनके लिए बहा देना।
मैं कहता हूँ सब लोगों से, जरा याद तो तुम भी कर लेना।।
जो दुनिया सारी छोड़ चलें........................

सांसों की डोरी टूट गयी, उसे साथ किसी का मिल न सका
सपनों की दुनिया बिखर गई, वो सपने सारे टूट गएं।।
मैं करूँ विनती सब लोगों से ज़रा याद तो उनको कर लेना।
जो दुनिया सारी छोड़ चलें........................

जब याद उनकी आ जाए, जो तुम भी दो आंसू बहा देना।
जब आंसू बहते जाये तो, ज़रा हमको आकर बता देना।
मैं कहता हूं सब लोगों से, ज़रा शीश तुम भी झुका देना।
जो दुनिया सारी छोड़ चलें........................

नमन है उनकी शहादत को, नमन है उनके त्याग को।
नमन है ऐसे वीरों को, जो अजादी हमें दे गएं।
मैं करता हूँ प्रणाम उनको, ऐसे वीर शहीदों को
जो दुनिया सारी छोड़ चलें........................

रविकांत प्रजापति
एम टी एस,
क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

वक़्त नहीं

हर खुशी है लोगों के दामन में पर एक हँसी के लिए वक्त नहीं
दिन रात दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी के लिए वक्त नहीं

माँ की लोरी का अहसास तो है पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं
सारे रिश्तों को तो हम मार चुके अब उन्हें दफनाने का वक्त नहीं

सारे नाम मोबाइल में हैं पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं
गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए वक्त नहीं

आँखों में है नींद बड़ी पर सोने का भी वक्त नहीं
दिल है गमों से भरा हुआ पर रोने का भी वक्त नहीं

पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं
पराए एहसान की क्या कद्र करें जब अपने सपनों के लिए वक्त नहीं

तू ही बता ऐ जिन्दगी, इस जिन्दगी का क्या होगा?
कि हर पल मरने वालों का जीने के लिए भी वक्त नहीं।

मनीष पचौरी
मल्टी टास्किंग स्टॉफ
मुख्यालय कार्यालय

दिल्ली मेट्रो (व्यंग्य)

कार्यालय जाने एवं आने के दौरान दिल्ली मेट्रो में यदि आप पुरूष (युवा) हैं और आपने बैठने का अवसर प्राप्त किया है तो निश्चय ही आपने सोलह सोमवारी की है। मुझे भी चार महीने के आवागमन में एक बार ऐसा सुनहरा अवसर मिला। देखकर जो किनारे की सीट न हो वहां बैठ गया (दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले शायद इसकी वजह समझ गए होंगे)। तीन चार मेट्रो स्टेशन तक तो ख़ुद पर यक़ीन ही नहीं हो रहा था। तब तक भीड़ भी बढ़ गयी फिर मेरे सामने एक भद्र महिला अपनी गोद में अपने दो तीन साल के बच्चे के लिए खड़ी दिखी। मैंने अपने सहयात्रियों की तरफ़ नज़र दौरायी लेकिन सभी अपने फ़ोन में व्यस्त थे। शायद जानबूझ कर अनदेखा कर रहे थे। वो महिला मेरी तरफ़ ही देख रही थी और शायद मन ही मन कह भी रही थी कि क्या मुझे उसकी तकलीफ़ दिख नहीं रही है। मै खड़ा हुआ और उस महिला को अपनी जगह दे दी। अब मैं खड़ा जा रहा था, बच्चा गोद से उतर कर अपनी माँ के पैर के सहारे खड़े हो कर खेल रहा था और वो महिला टिकटोक वीडियो देख रही थी।

सुमित कुमार
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

21 जून, 2019 को अतंरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह फोटो।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003